



जयेश के. उन्नीकृष्णन्
विधि सलाहकार
JAYESH K. UNNIKRISHNAN
LEGAL ADVISER

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001

No. 36-2(80)/Law

Date: 25.01.2024

OFFICE MEMORANDUM

Sub: India International Arbitration Centre (Conduct of Arbitration) Regulations, 2023.

It is brought to the notice of all concerned that time and again the Department of Legal Affairs is taking various initiatives for reforming the arbitration eco-system with a view to promote India as a jurisdiction facilitating efficacious resolution of disputes by recourse to Alternative Dispute Resolution mechanism including promotion of institutional arbitration and mediation. As further step in this direction, under the India International Arbitration Centre Act, 2019, an India International Arbitration Centre, an institution of national importance, has been established. The Centre is located at self-owned premises at Plot No. 6, Vasant Kunj, Institutional Area, New Delhi.

2. This India International Arbitration Centre (IIAC), will provide facilities, administrative assistance and enable conduct of arbitration proceedings through eminent arbitrators. This Centre is being developed as a flagship institution for creating an independent and autonomous regime for institutional arbitration, in the country. The details can be seen in the Gazette Notification dated 31 August, 2023 on the subject cited above. (copy enclosed).

3. In this context, all CSIR Labs/Instts. are requested to invariably incorporate relevant clauses in their respective Agreements/MoUs/Contracts, as and where needed. Insertion of this clause to be considered in addition and as an alternative option to the arbitration clause already circulated vide CSIR OM No. 36-2(80)/Law dated 06.05.2019 & 27.10.2021 (copy enclosed).

(Jayesh K. Unnikrishnan)
Legal Adviser, CSIR

To
The Director/Heads of all National Labs/Institutes/Units

Copy to:

1. Sr. PPS to DG, CSIR
2. PS to JS(A), CSIR
3. PS to FA, CSIR
4. PS to CVO, CSIR
5. Sr. DS/Sr. COA/DS/COA/US/AO of all CSIR Labs/Instts/Hqrs/Units
6. Sr. DFA/Sr. COFA/DFA/COFA/FAO of all CSIR Labs/Instts/Hqrs/Units
7. CSIR website
8. Office Copy



File No. 36-02/80-Law/22

Dated 27.10.2021

The Directors/Heads of all National Labs/Instts./Units of CSIR

Sub: Change in Arbitration clause of Domestic Agreement in accordance with Section 12(5) of Arbitration and Conciliation Act,1996 introduced by the Arbitration and Conciliation (Amendment) Act, 2015.

Ref: CSIR Circular letter dated No. 36-02/80-Law/355 dated 06.05.2019

Sir/Madam,


It is brought to the kind attention of all concerned that recently in an order dated 08.07.2021 of Hon'ble High Court of Kerala in the case of Tulsii Developers India Pvt. Ltd. Vs. Dr. Appu Benny Thomas, while relying on the judgment of Hon'ble Supreme Court in TRF Ltd. Vs. Energo Engineering Projects Ltd., has held, "Subsequent to the amendment to the Act in the year 2015 through which sub Section (5) was inserted into section 12 notwithstanding any agreement to the contrary any person whose relationship with the parties falls under any of the categories in the 7th Schedule of the Act, is rendered ineligible to be appointed as an Arbitrator". Hon'ble Court discarded the stipulation of the existing Arbitration clause in the agreement to the extent to which it allows the respondent to nominate the Arbitrator when the parties fail to arrive at a consensus nominee.

In view of the amendments 2015 and 2019 in the Arbitration & Conciliation Act, 1996 regarding the arbitration, and the recent order of the Hon'ble Kerala High Court as quoted above, It is stated that the Arbitration clause providing for appointment of Sole Arbitrator by any of the parties to the agreement, irrespective of the date of such agreement, shall stand redundant. In case of any dispute with respect to such agreement, the Arbitrator shall be got appointed in accordance with circular dated 06.05.2019, as referred to above, i.e. by referring the matter to Delhi International Arbitration Centre (DIAC).


Hence in future also, the model "Arbitration Clause" in the domestic agreement will be as under:-

"ARBITRATION

1. In the event of any question /dispute/difference arising under the agreement or in connection herewith (except as to matters the decision of which is specially provided under this agreement) the same shall be referred to the Delhi International Arbitration Centre for appointment of Arbitrator to adjudicate the dispute.
2. The award of the Arbitrator shall be final and binding on the parties. The Arbitrator may give interim award(s) and /or directions, as may be required.
3. Subject to the aforesaid provision, the arbitration and conciliation act, 1996 and the rules made hereunder and any modification thereof from time to time being in force shall be deemed to apply to the Arbitration proceedings under this clause."

Yours faithfully,

(Purnima Arora)
Under Secretary (Legal)

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली - 110 001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi - 110 001



No. 36-02/80-Law /355

06.05.2019

No. _____

Dated _____

From

संयुक्त सचिव (प्रशासन)
Joint Secretary (Admn.)

To

The Directors/Heads of all National Labs/Instts./Units of CSIR

Sub: Change in the Arbitration Clause of the all domestic Agreements (New and Old) as per the Judgment dated 23.05.2018 passed by the Hon'ble High Court of Delhi in case of Naveen Kumar VS CSIR-IGIB.

Sir/Madam,

It is to inform you that as per the order dated **23.05.2018** passed by Hon'ble Delhi High Court in case of **Naveen Kumar Vs. CSIR-IGIB** in which the Hon'ble High Court by referring the judgment of Hon'ble Supreme Court (**TRF Ltd. V. Energo Engineering Projects Ltd: AIR 2017 SC 3889**) dated 03.07.2017, held that "In view of Section 12(5) of the Act introduced by the Arbitration and Conciliation (Amendment) Act, 2015, DGCSIR is no longer eligible to act as an arbitrator and also cannot nominate a person on his behalf to act as an arbitrator."

Therefore, in view of above, DG, CSIR has approved that in future all domestic agreements shall have a clause that any difference/dispute arising out of the agreement shall be referred to Delhi International Arbitration Centre (DIAC), Delhi High Court, New Delhi.

The Arbitration Clause may be modified accordingly.

Yours faithfully,

[Bijendra Kumar]
Deputy Secretary (Legal)

CC :

1. The Sr.DS/DS/US of CSIR Hqr/CSIR Complex.
2. The Sr. COA/COA/AO of all the Labs/Institutes of CSIR.
3. Office of DG, CSIR.
4. PS to Joint Secretary
5. Head, Mission Directorate
6. Head, IPU.
7. Head, IT Division with a request to make it available on CSIR website.
8. Office Copy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02092023-248516
CG-DL-E-02092023-248516

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 624]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 1, 2023/भाद्र 10, 1945

No. 624]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 1, 2023/BHADRA 10, 1945

भारत अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केन्द्र

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2023

फा. सं. ए-60011/96/2023-प्रशासन(एआर)-आईआईएसी.—भारत अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केन्द्र, भारत अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केन्द्र अधिनियम, 2019 (2019 का 17) की धारा 31 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से माध्यस्थम् के संचालन का उपबंध करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारत अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केन्द्र (माध्यस्थम् का संचालन) विनियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.- (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से भारत अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केन्द्र अधिनियम, 2019 (2019 का 17) अभिप्रेत है;

(ख) "सलाहकार पैनल" से आपात मध्यस्थ से भिन्न मध्यस्थ की नियुक्ति के संबंध में अध्यक्ष को सलाह देने के लिए विनियम 9 के अधीन केन्द्र द्वारा गठित पैनल अभिप्रेत है;

- (ग) "प्रशासन फीस" से अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रशासन फीस अभिप्रेत है;
- (घ) "माध्यस्थम् अधिकरण" में एकमात्र मध्यस्थ या जहां एक से अधिक मध्यस्थ नियुक्त किए जाते हैं, सभी मध्यस्थ सम्मिलित हैं;
- (ङ) "मध्यस्थ फीस" से अनुसूची में विनिर्दिष्ट मध्यस्थ फीस अभिप्रेत है;
- (च) "माध्यस्थम् अधिनियम" से माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) अभिप्रेत है;
- (छ) "पंचाट" में अंतरिम, भागतः, अंतिम या अतिरिक्त पंचाट सम्मिलित है;
- (ज) "केन्द्र" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित और निगमित भारत अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केन्द्र अभिप्रेत है;
- (झ) "अध्यक्ष" से अधिनियम की धारा 5 के खंड (क) में निर्दिष्ट केन्द्र का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
- (ञ) "माध्यस्थम् चैंबर" से अधिनियम की धारा 28 के अधीन यथा परिभाषित माध्यस्थम् चैंबर अभिप्रेत है;
- (ट) "मुख्य कार्यकारी अधिकारी" से अधिनियम की धारा 21 के अधीन नियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिप्रेत है;
- (ठ) "आपात मध्यस्थ" से विनियम 18 के अनुसरण में नियुक्त मध्यस्थ अभिप्रेत है;
- (ड) "फाईलिंग फीस" से अनुसूची में विनिर्दिष्ट फाईलिंग फीस अभिप्रेत है;
- (ढ) "सदस्य" से अधिनियम की धारा 5 में निर्दिष्ट केन्द्र का सदस्य अभिप्रेत है;
- (ण) "मध्यस्थ पैनल" से केन्द्र द्वारा अनुरक्षित मध्यस्थ पैनल अभिप्रेत है;
- (त) "व्यवसाय निदेश" से केन्द्रीय सरकार द्वारा इन विनियमों के कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर प्रकाशित मार्गदर्शक सिद्धांत अभिप्रेत है;
- (थ) "रजिस्ट्रार" से केन्द्र का रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार के कर्तव्यों से न्यस्त कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (द) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके उस अधिनियम में हैं।

3. लागू होना.- जहां पक्षकार उनके विवादों को (चाहे विवाद उद्भूत होने से पूर्व या उसके पश्चात्) माध्यस्थम् केन्द्र में निर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो गए हैं या जहां कोई न्यायालय यह निदेश देता है कि केन्द्र के संरक्षण के अधीन पक्षकारों के मध्य माध्यस्थम् संचालित किया जाए, पक्षकार इस प्रकार सहमत हुए समझे जाएंगे कि माध्यस्थम् इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार केन्द्र द्वारा संचालित या प्रशासन किया जाना है।

4. माध्यस्थम् के लिए अनुरोध.- (1) इन विनियमों के अधीन माध्यस्थम् की कार्यवाही,-

- (क) जब कोई पक्षकार केन्द्र की वेबसाइट (www.indiaiac.org) पर उपबंधित पोर्टल पर अपलोड करके अधिमानतः या रजिस्ट्रार को ई-मेल पते के माध्यम से या केन्द्र के साथ अनुरोध की भौतिक प्रति फाइल करके, अनुरोध करता है; या
- (ख) माध्यस्थम् केन्द्र के पक्षकारों को निर्दिष्ट करने वाले किसी न्यायालय के निर्णय, विनिश्चय या आदेश की प्राप्ति पर, प्रारंभ होगी।

(2) जब कोई पक्षकार (जिसे इसमें इसके पश्चात् दावेदार कहा गया है), केन्द्र को माध्यस्थम् के लिए अनुरोध करता है, अनुरोध में निम्नलिखित अंतर्विष्ट या उसके साथ होना चाहिए,-

(क) पक्षकारों को माध्यस्थम् के लिए निर्दिष्ट करने वाले न्यायालय का आदेश, यदि उपनियम (1) के खंड (ख) के अधीन आता हो;

(ख) संपूर्ण माध्यस्थम् खंड या पृथक् माध्यस्थम् करार, जहां पक्षकार केन्द्र द्वारा या उसके अधीन माध्यस्थम् के संचालन पर सहमत हो गए हों;

(ग) संदर्भ और जहां संभव हो, संविदा या अन्य लिखत की प्रति, जिसके संबंध में विवाद उद्भूत हुआ हो;

(घ) जहां तक ज्ञात हो, माध्यस्थम् पक्षकारों और उनके विधिक प्रतिनिधियों तथा हित उत्तराधिकारियों, यदि कोई हो का पूरा नाम और डाक पता, जिसके अंतर्गत टेलीफोन संख्या, मोबाइल संख्या और इलेक्ट्रानिक ई-मेल पता भी है;

(ङ) विवाद और चाहे गए अनुतोष (जिसके अंतर्गत किन्हीं निर्धारित दावों की रकम और किन्हीं ऐसे दावों के धनीय मूल्यों का प्राक्कलन, जहां तक संभव है, सम्मिलित है) विनिर्दिष्ट करते हुए माध्यस्थम् के अन्य पक्षकार (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रत्यर्थी कहा गया है) के विरुद्ध दावे की प्रकृति और परिस्थितियों का संक्षिप्त वर्णन करते हुए कथन;

(च) किन्हीं विषयों का विवरण, जिस पर पक्षकार माध्यस्थम् के संचालन के संबंध में सहमत हो गए हैं या जिसके संबंध में दावाकर्ता माध्यस्थम् की संख्या, संविदा को शासित करने वाली विधि, माध्यस्थम् को शासित करने वाली विधि, माध्यस्थम् की भाषा और माध्यस्थम् की जगह/स्थान के संबंध में प्रस्ताव करने की वांछा करता है;

(छ) मध्यस्थ का नाम निर्देशन, यदि माध्यस्थम् करार तीन मध्यस्थों का उपबंध करता है, या एकमात्र मध्यस्थ के नाम निर्देशन का प्रस्ताव यदि माध्यस्थम् करार एकमात्र मध्यस्थ का उपबंध करता है, जब तक कि पक्षकार अन्यथा सहमत हो गए हैं, जिसके अंतर्गत यथास्थिति, नामनिर्देशन और नियुक्ति की शक्ति अध्यक्ष या इन विनियमों के अनुसार केन्द्र को प्रदत्त किया जाना भी है या उसके सिवाय जहां न्यायालय द्वारा माध्यस्थम् के पक्षकार निर्दिष्ट करते हुए मध्यस्थ नामित किया जाता है, ;

(ज) यह पुष्टि की माध्यस्थम् के लिए अनुरोध और किन्हीं दस्तावेजों की प्रतियां अन्य सभी पक्षकारों को, तब या उसके पश्चात् यथा संभव शीघ्र वास्तविक परिदान के दस्तावेजी सबूत, जिसके अंतर्गत परिदान की तारीख भी है द्वारा समर्थित किए जाने के लिए, नियोजित सेवा की रीति और सेवा की तारीख को विनिर्दिष्ट करते हुए, साथ-साथ दी गई हैं या दी जा रही हैं, जिसमें; और

(झ) यह पुष्टि कि अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट अध्यापेक्षित फाइलिंग फीस संदत्त की गई है ।

(3) माध्यस्थम् के लिए अनुरोध किसी पक्षकार को अपने अभिवचनों, माध्यस्थम् में निर्दिष्ट विषयवस्तु या दावाकृत अनुतोषों में जोड़ने, उन्हें अनुपूरक करने या संशोधित करने से निवारित नहीं करेगा:

परंतु ऐसी विषयवस्तु और अनुतोष माध्यस्थम् करार के क्षेत्र के भीतर आते हों और विवाद से सुसंगत हो ।

(4) केन्द्रीय सरकार द्वारा माध्यस्थम् के लिए पूर्ण अनुरोध प्राप्ति की तारीख माध्यस्थम् के प्रारंभ की तारीख समझी जाएगी और माध्यस्थम् के लिए अनुरोध तब पूरा माना जाएगा जब उपविनियम (2) की सभी अपेक्षाएं पूरी की जाती हैं या जब केन्द्र अवधारित करता है कि ऐसी अपेक्षाओं का सारभूत पालन किया गया है और पक्षकारों को माध्यस्थम् के प्रारंभ की तारीख अधिसूचित की जाती है ।

5. माध्यस्थम् के लिए अनुरोध का प्रत्युत्तर.- (1) प्रत्यर्थी माध्यस्थम् के लिए अनुरोध की प्राप्ति से चौदह दिवस के भीतर दावाकर्ता और केन्द्र को, अधिमानतः केन्द्र की वेबसाइट पर उपबंधित पोर्टल पर अपलोड करके (www.indiaiac.org) या ई-मेल द्वारा या केन्द्र के साथ मध्यस्थता के अनुरोध के प्रत्युत्तर में भौतिक प्रति फाइल करके प्रत्युत्तर भेजेगा, जिसमें निम्नलिखित अंतर्विष्ट या संलग्न होगा,-

(क) संपूर्ण दावे या उसके किसी भाग की पुष्टि या प्रत्याखान या माध्यस्थम् के लिए दावाकर्ता का आख्यान;

(ख) प्रत्यर्थी की टेलीफोन संख्या, मोबाइल संख्या और ई-मेल आईडी के साथ पूरा नाम और पता और डाक पता और उसका विधिक प्रतिनिधि और हित उत्तराधिकारी, यदि कोई हो;

(ग) विवाद की प्रकृति और परिस्थितियों का संक्षिप्त वर्णन करते हुए विवरण और दावे की प्रतिरक्षा तथा किसी प्रतिदावे की प्रकृति और परिस्थितियों का वर्णन करते हुए संक्षिप्त विवरण, दावाकर्ता अनुतोष विनिर्दिष्ट करना, उसके अंतर्गत किसी परिणामिक प्रतिदावे की रकम भी है और जहां तक संभव हो, किसी अन्य प्रतिदावे के धनीय मूल्य का प्राक्कलन;

(घ) माध्यस्थम् के लिए अनुरोध में अंतर्विष्ट किसी कथन के प्रत्युत्तर में या जिसकी बाबत प्रत्यर्थी प्रस्ताव करने की वांछा करता है, मध्यस्थों की संख्या, संविदा को शासित करने वाली विधि, माध्यस्थम् को शासित करने वाली विधि, माध्यस्थम् की भाषा और माध्यस्थम् की जगह/स्थान के संबंध में माध्यस्थम् के संचालन से संबंधित मामलों पर कोई टिप्पण ;

(ङ) जहां माध्यस्थम् करार एकमात्र मध्यस्थ के लिए उपबंध करता है, एकमात्र मध्यस्थ या अन्यथा के लिए दावाकर्ता के प्रस्ताव से सहमति; या जहां माध्यस्थम् करार तीन मध्यस्थों का उपबंध करता है, जब तक कि पक्षकार अन्यथा सहमत नहीं हो, जिसके अंतर्गत यथास्थिति नामनिर्देशन या नियुक्ति की शक्ति इन विनियमों के अनुसार अध्यक्ष या केन्द्र को प्रदत्त नहीं की जाती है या उस दशा के सिवाय जहां न्यायालय द्वारा एक या अधिक मध्यस्थ नामित किए गए हैं, ऐसे करार में यथा परिकल्पित मध्यस्थ का नाम निर्देशन;

(च) यह पुष्टि कि उन प्रत्युत्तरों और दस्तावेजों, जिन पर निर्भर किया गया है, की प्रतियां अन्य पक्षकारों को नियोजित सेवा की रीति और सेवा की तारीख, वास्तवित परिदान के दस्तावेजी सबूत द्वारा, जिसके अंतर्गत परिदान की तारीख भी है, विनिर्दिष्ट करते हुए एकसाथ दी गई है या दी जा रही है;

(छ) यह पुष्टि कि किसी प्रतिदावे के लिए अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट अध्यापेक्षित फाइलिंग फीस संदत्त की गई है ।

(2) प्रत्युत्तर की अंतर्वस्तु प्रत्यर्थी को अभिवचनों में पश्चात्कर्ती जोड़ने, अनुपूरक करने या संशोधन करने से निवारित नहीं करेगी ।

6. लिखित संसूचना और अवधि की गणना.- (1) प्रत्येक सूचना या संसूचना अथवा प्रस्ताव लिखित में या इलेक्ट्रानिक संसूचना के माध्यम से होगा, जिसे इसमें इसके पश्चात् लिखित संसूचना कहा गया है और ऐसी लिखित संसूचना वैयक्तिक रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक से या कूरियर सेवा से परिदत्त की जा सकेगी या इलेक्ट्रानिक साधनों के किसी रूप से पारेषित की जा सकेगी या किन्हीं अन्य साधनों से परिदत्त की जा सकेगी, जो उसके पारेषण के अभिलेख का उपबंध करते हैं या किन्हीं अन्य मामलों में जो केन्द्र या माध्यस्थम् अधिकरण निदेश दे परिदत्त की जा सकेगी और ऐसी लिखित संसूचना का प्राप्त होना समझा जाएगा यदि उसका परिदान,-

(क) संबोधिती को वैयक्तिक रूप से; या

(ख) उसके साधारण निवास, कारबार स्थल या पदाभिहित पते पर; या

(ग) किसी अन्य पते पर जिस पर संसूचना की तामील के लिए पक्षकार सहमत हो; या

(घ) पूर्व व्यौहारों में पक्षकारों में चलन के अनुसार; या

(ङ) उसके ज्ञात ई-मेल पते पर; या

(च) यदि युक्तियुक्त जांच करने के पश्चात् उपरोक्त नहीं ज्ञात हो सकते हैं, तब संबोधिती के अंतिम ज्ञात कारबार या निवास स्थल पर, किया जाता है ।

स्पष्टीकरण.- इस विनियम में "इलेक्ट्रानिक संसूचना" में इलेक्ट्रानिक मेल और किसी अन्य प्रकार की संसूचना, जो पारेषण के अभिलेख का उपबंध करती है, सम्मिलित है ।

(2) कोई लिखित संसूचना उस दिन प्राप्त हुई समझी जाएगी, जब वह परिदत्त की जाती है या इलैक्ट्रॉनिक साधनों के रूप में पारेषित की जाती है, और ऐसे समय का माध्यस्थम की जगह/स्थान के समय, क्षेत्र के संबंध में अवधारण किया जाएगा और उस दशा में, जहां पक्षकारों द्वारा माध्यस्थम् के लिए किसी स्थान/पीठ का चयन नहीं किया जाता है या अधिकरण द्वारा अवधारण किया जाता है, प्राप्ति के समय का भारतीय मानक समय के आधार पर अर्थ लगाया जाएगा।

(3) इन विनियमों के अधीन कोई अवधि उस दिन के अगले दिन से संगणित की जाएगी जब कोई लिखित संसूचना उप विनियम (2) के अधीन प्राप्त हुई समझी गई है।

स्पष्टीकरण :- जब उप-विनियम (1) के अनुसरण में ऐसी लिखित संसूचना की प्राप्ति के स्थान पर ऐसी तारीख के अगले दिन कोई गैर-कारबार दिन है तो ऐसी अवधि अगले पहले कारबार वाले दिन को प्रारंभ होगी और यदि ऐसी अवधि का अंतिम दिन गैर-कारबार दिन है तो ऐसी प्राप्ति के स्थान पर अवधि तब तक विस्तारित हो जाती है जब तक पहला कारबार का दिन आता है।

(4) अवधि के दौरान आने वाले गैर-कारबार दिन भी कुल अवधि की संगणना में सम्मिलित हैं।

(5) माध्यस्थम् अधिकरण के गठन के पश्चात्, जब कोई पक्षकार माध्यस्थम् अधिकरण को कोई लिखित सूचना प्रदान करता है तो यह साथ-साथ प्रत्येक मध्यस्थ, सभी पक्षकारों और रजिस्ट्रार को एक प्रति प्रदान करेगा और यह माध्यस्थम् अधिकरण को लिखित में पुष्टि करेगा कि उसने ऐसा कर दिया है या वह ऐसा कर रहा है।

(6) रजिस्ट्रार, यदि पक्षकार ऐसा अनुरोध करें या परिस्थितियों के लिए ऐसा करना उचित हो, तो इन नियमों में विहित समय-सीमा संशोधित कर सकेगा परंतु यह माध्यस्थम् को लागू विधि के किन्हीं उपबंधों या माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा यथा निहित किन्हीं समय सीमाओं का उल्लंघन न करे।

7. अतिरिक्त पक्षकारों का संयोजन -(1) माध्यस्थम् अधिकरण के गठन के पश्चात्, माध्यस्थम् का कोई पक्षकार माध्यस्थम् अधिकरण के समक्ष लंबित किसी माध्यस्थम् कार्यवाही में एक या अधिक अतिरिक्त पक्षकारों के संयोजन हेतु आवेदन कर सकेगा।

(2) माध्यस्थम् अधिकरण, निम्नलिखित शर्तों का समाधान होने के पश्चात्, आवेदन को अनुज्ञात कर सकेगा, अर्थात् :-

(क) पक्षकार, जिसके अंतर्गत संयोजन किए जाने वाला अतिरिक्त पक्षकार भी है, ने अतिरिक्त पक्षकार को संयोजन की सम्मति दी है; और

(ख) संयोजन किए जाने वाला अतिरिक्त पक्षकार प्रथम दृष्टया माध्यस्थम करार द्वारा आबद्ध है;

(3) संयोजन के लिए किसी आवेदन में निम्नलिखित होगा :-

(क) तथ्यों का संक्षिप्त विवरण और आवेदन का समर्थन करने के कारण।

(ख) लंबित माध्यस्थम् के व्यौर जिसमें एक या अधिक अतिरिक्त पक्षकार संयोजन किए जाने वांछित है;

(ग) संयोजन किए जाने वाला अतिरिक्त पक्षकार और उनके प्रतिनिधियों, यदि कोई हों, का नाम और टेलीफोन सं. तथा ई-मेल आईडी सहित पता;

(घ) क्या अतिरिक्त पक्षकार का दावेदार या प्रत्यर्थी के रूप में संयोजन किया जाना है;

(ङ) सुसंगत माध्यस्थम करार की पहचान और ऐसे करार की एक प्रति;

(च) उस करार या अन्य लिखत जिससे या जिसके संबंध में विवाद उत्पन्न हुआ है का संदर्भ और जहां संभव हो ऐसी संविदा या अन्य लिखत की एक प्रति।

(4) माध्यस्थम् अधिकरण, पक्षकारों को, जिसके अंतर्गत संयोजन किए जाने वाला अतिरिक्त पक्षकार भी हैं, को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उप-विनियम (1) के अधीन संयोजन किए जाने के किसी आवेदन को या तो पूर्णतः या भागतः अनुज्ञात करने का विनिश्चय करेगा।

(5) इस विनियम के अधीन संयोजन के लिए आवेदन को अनुज्ञात करने के माध्यस्थम् अधिकरण का विनिश्चय, ऐसे विनिश्चय के लिए उसकी अधिकारिता के किसी प्रश्न को पश्चात्वर्ती विनिश्चित करने की शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

(6) जहाँ उप-विनियम (4) के अधीन संयोजन हेतु कोई आवेदन अनुज्ञात किया गया है वहाँ इन विनियमों के अधीन किन्हीं अतिरिक्त दावों या प्रतिदावों हेतु फाइल करने की फीस संदेय होगी।

8. माध्यस्थमों का समेकन - (1) किसी पक्षकार के अनुरोध पर माध्यस्थम् समेकन की वांछा पर समेकन के लिए माध्यस्थम् अधिकरण के गठन के पूर्व माध्यस्थम् समेकन हेतु, और अन्य पक्षकारों को तथा किसी माध्यस्थम् अधिकरण को, यदि उस माध्यस्थम में गठित किया गया है जो पहले प्रारम्भ हुआ था, नोटिस देने के पश्चात् है, अध्यक्ष एक या अधिक माध्यस्थमों को एक सामान्य माध्यस्थम में समेकन किए जाने हेतु वहाँ अनुज्ञात कर सकेगा जहाँ, -

(क) पक्षकार समेकन को सहमत हों; या

(ख) माध्यस्थमों में दावे उसी माध्यस्थम करार के अधीन किए गए हैं; या

विवाद या उसके मतभेद एक समान हैं और उन्हीं पक्षकारों के मध्य हैं या उन पक्षकारों के मध्य हैं जिनमें हितों की समानता है या जहाँ ऐसे विवाद पृथक संविदाओं से उद्भूत हैं किंतु उसी संव्यवहार के संबंध में है।

(2) समेकन हेतु अनुरोध करने वाला पक्षकार सभी अन्य पक्षकारों को और माध्यस्थम् जो पहले प्रारंभ हुआ था, माध्यस्थम् अधिकरण को, यदि कोई है, ऐसे अनुरोध की प्रतियां उपलब्ध करेगा।

(3) यह विनिश्चित करने में कि क्या समेकन करना है या नहीं, अध्यक्ष मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा और वह समेकन के लिए अनुरोध की प्राप्ति के चौदह दिन की अवधि के भीतर आवेदन को विनिश्चित करने का प्रयास करेगा।

(4) जहाँ अध्यक्ष उप-विनियम (1) के अधीन दो या अधिक माध्यस्थमों का समेकन करने का विनिश्चय करता है, वहाँ मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जब तक कि अध्यक्ष अन्यथा विनिश्चित करे, माध्यस्थम् उस माध्यस्थम् में समेकित किए जाएंगे जो पहले प्रारंभ हुआ था।

(5) रजिस्ट्रार, सभी पक्षकारों और गठित माध्यस्थम् अधिकरण को, यदि कोई हो, उस माध्यस्थम् में जो पहले प्रारंभ हुआ था, अध्यक्ष के विनिश्चय की प्रतियां प्रदान करेगा।

(6) केंद्र, उपयुक्त रूप से अपनी प्रशासन फीस और माध्यस्थम् अधिकरण की फीस (जहाँ समुचित हो) माध्यस्थमों के समेकन किए जाने के विनिश्चय के पश्चात् समायोजित करेगा।

9. सलाहकार पैनल की संरचना और कृत्य :- (1) केंद्र द्वारा गठित सलाहकार पैनल, केंद्र के सदस्यों, पदेन सदस्यों से भिन्न, और ऐसे अन्य विख्यात व्यष्टिकों से मिलकर बनेगा जिन्हें अनुकल्पी विवाद समाधान तंत्र जिसके अंतर्गत माध्यस्थम भी है, का घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक अनुभव हो।

(2) सलाहकार पैनल उतने सदस्यों से मिलकर बनेगा जितने समय-समय पर केंद्र विनिश्चित करे जिसमें कम से कम तीन सदस्य होंगे किंतु जिसमें दस सदस्यों से अधिक नहीं होंगे।

(3) सलाहकार पैनल के दो सदस्यों से अन्यून सदस्य, अध्यक्ष को किसी मध्यस्थ की नियुक्ति के संबंध में या तो केंद्र द्वारा रखे गए मध्यस्थों के पैनल में से या आपवादिक परिस्थितियों में किसी अन्य मध्यस्थ की नियुक्ति के संबंध में परामर्श देंगे।

10. मध्यस्थों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर प्रकटीकरण - (1) जहाँ किसी व्यक्ति को किसी मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया जाना है वहाँ वह लिखित में निम्नलिखित प्रकट करेगा -

(क) किसी अतीत या वर्तमान में, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, किन्हीं पक्षकारों के साथ या विवाद में विषय-वस्तु के संबंध में या हित का अस्तित्व में होना, चाहे वित्तीय, कारबार, वृत्तिक या किसी अन्य प्रकार, जिससे उसकी स्वतंत्रता या निष्पक्षता पर समुचित रूप से शक उत्पन्न होना संभाव्य हो; और

(ख) जिससे माध्यस्थम को पर्याप्त समय प्रदान करने का उसका सामर्थ्य और विशेष रूप से विनिर्दिष्ट समय के भीतर संपूर्ण माध्यस्थम को पूर्ण करने में उसके सामर्थ्य को प्रभावित करने की संभाव्यता हो।

(2) कोई मध्यस्थ, अपनी नियुक्ति से और संपूर्ण माध्यस्थम कार्यवाहियों में बिना विलंब के जब तक उसके द्वारा उन्हें पूर्व में सूचित न किया गया हो, उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट किन्हीं परिस्थितियों में लिखित में पक्षकारों को प्रकट करेगा।

11. मध्यस्थों की नियुक्ति और पुष्टि :- (1) जब तक पक्षकार अन्यथा सहमत न हो एक मात्र मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा।

(2) पक्षकारों के मध्य करार के अध्यक्षीन, पक्षकार केंद्र द्वारा रखे गए मध्यस्थों में से कोई मध्यस्थ या आपवादिक परिस्थितियों में किसी अन्य मध्यस्थ का नाम निर्दिष्ट कर सकेंगे।

(3) यदि पक्षकार सहमत हो गए हैं कि कोई मध्यस्थ एक या अधिक पक्षकारों या किसी तृतीय पक्ष द्वारा या पहले से नियुक्त मध्यस्थों द्वारा नियुक्त किया जाना है तो ऐसा करार इन विनियमों के अधीन कोई मध्यस्थ नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला करार माना जाएगा और ऐसे नामनिर्देशन अध्यक्ष द्वारा नियुक्ति के अध्यक्षीन होंगे।

(4) अध्यक्ष, सलाहकार पैनल के परामर्श को विचार में लेने के पश्चात्, जिसके अंतर्गत केंद्र द्वारा रखे गए मध्यस्थों का पैनल भी है, में से मध्यस्थ नियुक्त करेगा।

(5) इन विनियमों के अधीन कोई मध्यस्थ नियुक्त करने में पक्षकारों के करार के अनुसार मध्यस्थ के लिए अपेक्षित अर्हताओं को सम्यक्तः विचार में लिया जाएगा और ऐसे विचारों पर विचार करना जिनसे एक ऐसे उपयुक्त मध्यस्थ की नियुक्ति सुरक्षित होने की संभावना हो जो स्वतंत्र और निष्पक्ष हो, जिसके पास पर्याप्त समय, और उपलब्धता हो तथा जिसमें तत्काल और दक्ष रीति में किसी मामले को संचालित करने की सामर्थ्य हो।

(6) कोई दावेदार या प्रत्यर्थी या कोई व्यक्ति किसी मध्यस्थ के साथ उसकी नियुक्ति के पश्चात् किसी मामले के संबंध में एक पक्षीय या निजी संसूचना नहीं करेगा।

12. माध्यस्थम अधिकरण जिसमें एकमात्र मध्यस्थ हो - (1) यदि एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया जाना है तो या तो पक्षकार एक या अधिक व्यक्तियों के नाम एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए प्रस्तावित कर सकेंगे और एकमात्र मध्यस्थ के नाम निर्देशन पर सहमति पर पहुंचने के पश्चात् अध्यक्ष ऐसे नामनिर्दिष्ट व्यक्ति को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त कर सकेगा।

(2) यदि पक्षकार माध्यस्थम के प्रारंभ की तारीख से अट्ठाईस दिन के भीतर एकमात्र मध्यस्थ के नामनिर्देशन हेतु सहमति पर नहीं पहुंचते हैं तो अध्यक्ष किसी एक पक्षकार के अनुरोध पर सलाहकार पैनल के परामर्श को विचार में लेने के पश्चात् एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति करेगा।

13. माध्यस्थम अधिकरण जिसमें तीन मध्यस्थ हों - (1) यदि तीन मध्यस्थ नियुक्त किए जाने हैं तो प्रत्येक पक्षकार एक मध्यस्थ का नामनिर्दिष्ट करेगा।

(2) यदि कोई पक्षकार किसी मध्यस्थ के किसी पक्षकार के नामनिर्देशन की प्राप्ति के पश्चात् चौदह दिन के भीतर कोई मध्यस्थ नामनिर्दिष्ट करने में असफल रहता है तो अध्यक्ष, सलाहकार पैनल के परामर्श को विचार में लेने के पश्चात् स्वयं कोई मध्यस्थ नियुक्त करेगा।

(3) जब तक पक्षकार तीसरे मध्यस्थ को नियुक्त करने हेतु अन्य प्रक्रिया पर सहमत न हो या यदि ऐसी सहमत प्रक्रिया के परिणामस्वरूप पक्षकारों द्वारा या अध्यक्ष द्वारा नियत, सहमत पाई अवधि के भीतर नामनिर्देशन न हो, तो अध्यक्ष सलाहकार पैनल के परामर्श को विचार में लेने के पश्चात् तृतीय मध्यस्थ नियुक्त करेगा जो पीठासीन मध्यस्थ होगा।

14. मध्यस्थ की बहु-पक्षकार नियुक्ति - (1) जहां किसी माध्यस्थम को दो से अधिक पक्षकार हैं और एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया जाना है वहां पक्षकार संयुक्त रूप से एकमात्र मध्यस्थ का नामनिर्दिष्ट कर सकेंगे और ऐसे संयुक्त नामनिर्देशन

की अनुपस्थिति में जो माध्यस्थम के प्रारंभ की तारीख से अट्ठाईस दिन की अवधि के भीतर किया गया है, अध्यक्ष सलाहकार पैनल के परामर्श को सम्यक रूप से विचार में लेने के पश्चात् एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेगा।

(2) जहाँ माध्यस्थम् को दो से अधिक पक्षकार हैं और तीन मध्यस्थ नियुक्त किए जाने हैं वहाँ दावेदार संयुक्त रूप से एक मध्यस्थ का नामनिर्दिष्ट करेगा और प्रत्यर्थी संयुक्त रूप से एक मध्यस्थ का नामनिर्दिष्ट करेगा और जब तक पक्षकार तीसरा मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए दूसरी प्रक्रिया पर सहमत न हो, या यदि ऐसी सहमत प्रक्रिया के परिणामस्वरूप पक्षकारों द्वारा सहमत या अध्यक्ष द्वारा नियत अवधि के भीतर नामनिर्देशन न हो तो अध्यक्ष सलाहकार पैनल के परामर्श पर तीसरे मध्यस्थ को नियुक्त करेगा जो पीठासीन मध्यस्थ होगा।

(3) ऐसे संयुक्त नामनिर्देशनों की अनुपस्थिति में जो माध्यस्थम के प्रारंभ की तारीख से अट्ठाईस दिन के भीतर किए गए हैं, अध्यक्ष सलाहकार पैनल के परामर्श पर सभी तीनों मध्यस्थ नियुक्त करेगा और उनमें से एक को पीठासीन मध्यस्थ के रूप में पदाभिहित करेगा।

15. मध्यस्थों को चुनौती—(1) किसी व्यक्ति की मध्यस्थ के रूप में नियुक्ति या उसके बने रहने को किसी पक्षकार द्वारा चुनौती दी जा सकेगी, यदि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जो मध्यस्थ के रूप में उसकी निष्पक्षता या स्वतंत्रता पर समुचित संदेह उत्पन्न करती हैं या यदि मध्यस्थ ऐसी अपेक्षित अर्हता नहीं रखता है जो पक्षकारों के मध्य पूर्व में सहमत हुई थीं या यदि कोई मध्यस्थ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो गया है या इन विनियमों के अनुसार या विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उन कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है।

(2) कोई पक्षकार उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट मध्यस्थ को केवल ऐसे कारणों के लिए चुनौती दे सकेगा जिसके बारे में उसे ऐसे नामनिर्देशन के पश्चात् ज्ञात हुआ है।

(3) कोई पक्षकार जो किसी मध्यस्थ की नियुक्ति को चुनौती देने का आशय रखता है ऐसे मध्यस्थ की नियुक्ति के नोटिस की प्राप्ति के पश्चात् चौदह दिन के भीतर या उपविनियम (1) में उल्लिखित परिस्थितियों के पश्चात् चौदह दिन के भीतर जिससे उस पक्षकार को ज्ञात हो, रजिस्ट्रार को नोटिस भेजेगा।

(4) चुनौती का नोटिस, अन्य पक्षकार को, मध्यस्थ को जिसे चुनौती दी जा रही है और माध्यस्थम् अधिकरण के अन्य सदस्यों को, एक साथ भेजा जाएगा।

(5) चुनौती का नोटिस लिखित में होगा और उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट चुनौती के लिए आधारों का कथन करेगा।

(6) रजिस्ट्रार, जब तक चुनौती का समाधान होता है तब तक आदेश द्वारा माध्यस्थम् कार्यवाहियां निलंबित कर सकेगा।

(7) जब एक पक्षकार द्वारा मध्यस्थ को चुनौती दी जाती है और दूसरा पक्षकार चुनौती के नोटिस की प्राप्ति की तारीख के सात दिन के भीतर पहले पक्षकार द्वारा की गई चुनौती पर विवाद उत्पन्न नहीं करता है तो अध्यक्ष ऐसे मध्यस्थ को बदल सकेगा और इस प्रकार चुनौती दिया गया मध्यस्थ स्वेच्छा से भी अपना पद छोड़ सकेगा।

(8) उपविनियम (7) में निर्दिष्ट किसी भी मामले में, क्या इसका अर्थ चुनौती के लिए किसी आधार के वैधता की स्वीकृति है।

(9) उपविनियम (7) में विनिर्दिष्ट मामलों में, एक प्रतिस्थानी मध्यस्थ विनियम 16 में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त किया जाएगा।

(10) यदि दूसरा पक्षकार चुनौती से सहमत नहीं है और मध्यस्थ, जिसे चुनौती दी जा रही है, स्वेच्छा से स्वयं को प्रत्याहृत नहीं करता है, तब अध्यक्ष पक्षकारों और मध्यस्थ को प्रस्तुत करने के लिए नोटिस की एक प्रति भेजेगा, या यथास्थिति, अध्यक्ष द्वारा यथाउपबंधित ऐसी अवधि के भीतर चुनौती पर टिप्पण करेगा।

(11) अध्यक्ष पक्षकारों की प्रस्तुति या मध्यस्थों के टिप्पण, जो बाद में हो, की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर चुनौती पर निर्णय लेने का प्रयास करेगा।

(12) यदि अध्यक्ष चुनौती की नोटिस को स्वीकार करता है, तो प्रतिस्थानी मध्यस्थ इन विनियमों के अनुसार नियुक्त किया जाएगा।

(13) यदि अध्यक्ष चुनौती की नोटिस को अस्वीकार कर देता है, तो मध्यस्थ मध्यस्थता जारी रखेगा।

16. मध्यस्थ का प्रतिस्थापन--(1) मध्यस्थ निम्नलिखित शर्तों पर प्रतिस्थापित किया जाएगा,—

- (क) इन विनियमों या विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, के अनुसार कार्य करने से इंकार कर देता है या असफल रहता है ; या
- (ख) इन विनियमों के अनुसार कार्य करने में अयोग्य है ; या
- (ग) उसकी मृत्यु के मामले में, त्यागपत्र या माध्यस्थम् से प्रत्याहरण ; या
- (घ) अध्यक्ष द्वारा विनियम 15 के अधीन माध्यस्थम् की चुनौती स्वीकार करना ; या
- (ङ) अध्यक्ष को मध्यस्थ को हटाने के लिए सभी पक्षकारों द्वारा लिखित अनुरोध करने की दशा में और जहां ऐसा अनुरोध उसके द्वारा स्वीकार कर लिया गया है ।

(2) जहां मध्यस्थ किसी कारण से प्रतिस्थापित किया जाता है, तब प्रतिस्थापित मध्यस्थ उन विनियमों के अधीन मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाएगा ।

(3) मध्यस्थ के प्रतिस्थापित होने पर, पुनर्गठित माध्यस्थम् अधिकरण पक्षकारों को यह अवधारित करने के लिए आमंत्रित कर सकता है और सुन सकता है कि क्या और किस सीमा तक, जो कार्यवाही पहले ही की जा चुकी है, उसे पुनर्गठित मध्यस्थ अधिकरण के समक्ष दोहराया जाएगा या अन्य प्रकार से किया जाएगा :

परन्तु पूर्व माध्यस्थम् अधिकरण अंतरिम या आंशिक पंचाट के लिए बनाया गया है तो ऐसे पंचाट से संबंधित कोई सुनवाई पुनर्गठित माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा पुनः धारित नहीं की जाएगी और ऐसा अंतरिम और आंशिक पंचाट प्रभावी रहेगा ।

17. त्वरित निपटान प्रक्रिया—(1) माध्यस्थम् करार करने वाले पक्षकार अपने विवाद को त्वरित निपटान प्रक्रिया के माध्यम से किसी भी स्तर पर, या तो माध्यस्थम् अधिकरण की नियुक्ति से पहले या नियुक्ति के समय समाधान करने के लिए लिखित रूप में सहमत हो सकते हैं ।

(2) ऐसे करार के अनुसरण में, पक्षकार त्वरित निपटान प्रक्रिया के अनुसार माध्यस्थम् कार्यवाही आयोजित करने के लिए लिखित में रजिस्ट्रार को आवेदन कर सकते हैं ।

(3) उपविनियम (2) के अधीन आवेदन करने वाले पक्षकार अन्य पक्षकारों और रजिस्ट्रार को आवेदन की एक प्रति भेजेंगे ।

(4) जहां कोई पक्षकार उपविनियम (2) के अधीन आवेदन किया है, और जहां अध्यक्ष पक्षकारों के विचारों पर विचार करने और मामलों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेता है कि माध्यस्थम् कार्यवाही त्वरित निपटान प्रक्रिया के अनुसार संचालित की जाएगी, वहां पक्षकारों के बीच माध्यस्थम् समझौते के विपरीत किसी बात के होते हुए, निम्नलिखित प्रक्रिया लागू होगी, अर्थात् :-

- (क) मामले को एकमात्र माध्यस्थम् को निर्दिष्ट किया जाएगा, जब तक कि अध्यक्ष अन्यथा निर्णय न लें ;
- (ख) रजिस्ट्रार इन विनियमों के अधीन किसी भी समयावधि को कम कर सकता है ;
- (ग) माध्यस्थम् अधिकरण लिखित अभिवचन, दस्तावेजों और फाइल की गई प्रस्तुतियों के आधार पर विवादों को निर्णीत करेगा, जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति न दी जाए ;
- (घ) माध्यस्थम् अधिकरण को पक्षकारों से उनके द्वारा फाइल किए गए अभिवचनों और दस्तावेजों के अतिरिक्त कोई आगे की जानकारी या स्पष्टीकरण के लिए बुलाने की शक्ति होगी ;
- (ङ) मौखिक सुनवाई तभी होगी जब सभी पक्षकार इसके लिए अनुरोध करते हैं या यदि माध्यस्थम् अधिकरण कतिपय मुद्दों के स्पष्टीकरण के लिए मौखिक सुनवाई करना आवश्यक समझते हैं ;
- (च) यदि मौखिक सुनवाई होती है तो माध्यस्थम् अधिकरण किसी भी तकनीकी औपचारिकता से छूट दे सकता है, और ऐसी प्रक्रिया अपना सकता है जो मामलों के शीघ्र निपटान के लिए उचित हो ;

(छ) इस विनियम के अधीन पंचाट, माध्यस्थम् पंचाट के गठन से रजिस्ट्रार द्वारा पक्षकारों को सूचना दिए जाने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर दिया जाएगा।

(ज) यदि पंचाट छह महीने की उक्त अवधि के भीतर नहीं दिया जाता है, तो माध्यस्थम् अधिकरण का आदेश समाप्त हो जाएगा जब तक कि पंचाट की अवधि को लिखित रूप में कारण अभिलिखित करके बढ़ा नहीं दिया जाता है।

(5) किसी पक्षकार द्वारा आवेदन करने पर, माध्यस्थम् अधिकरण पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात् और रजिस्ट्रार के परामर्श से आदेश दे सकता है कि माध्यस्थम् कार्यवाहियां इस विनियम के अधीन त्वरित निपटान प्रक्रिया के अनुसार संचालित नहीं की जाएंगी, और जहां माध्यस्थम् अधिकरण ऐसे आवेदन को अनुमति देता है, वहां माध्यस्थम् उसी माध्यस्थम् अधिकरण जो त्वरित निपटान प्रक्रिया के अनुसार माध्यस्थम् संचालित करने के लिए गठित किया गया था, संचालन को जारी रखेगा।

18. आपातकालीन मध्यस्थ :- (1) जहां आपातकालीन अंतरिम अनुतोष के लिए आवेदन, माध्यस्थम् अधिकरण के गठन तक इंतजार नहीं कर सकता है, वहां पक्षकार ऐसे आपातकालीन अंतरिम अनुतोष के लिए रजिस्ट्रार को लिखित में आवेदन कर सकते हैं।

(2) उपविनियम (1) के अधीन माध्यस्थम् के लिए अनुरोध फाइल करते समय या उसके पश्चात्, किंतु माध्यस्थम् अधिकरण के गठन से पूर्व आवेदन कर सकता

है।

(3) उपविनियम (1) के अधीन आवेदन करने वाले पक्षकार, साथ-साथ माध्यस्थम् के अन्य पक्षकारों को एक प्रति भेजेंगे।

(4) ऐसा आवेदन करने वाला पक्षकार,—

(क) मांगे गए अनुतोष की प्रकृति और परिस्थितियों को संक्षेप में वर्णित कथन सहित और विशिष्ट कारण कि क्यों ऐसा अनुतोष आपातकालीन रूप से आवश्यक है और कारण कि ऐसे अनुतोष का पक्षकार हकदार क्यों है ;

(ख) आपातकालीन मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट आवेदन फीस का संदाय करेगा ; और

(ग) माध्यस्थम् के अन्य पक्षकारों पर ऐसे आवेदन की सेवा का प्रमाण फाइल करेगा।

(5) अध्यक्ष, रजिस्ट्रार द्वारा आवेदन की प्राप्ति के तीन दिनों (गैर-व्यावसायिक दिनों सहित) के भीतर आपातकालीन मध्यस्थ की नियुक्ति करने का प्रयास करेगा।

(6) उपविनियम (5) के अधीन नियुक्त किए जाने वाले आपातकालीन मध्यस्थ को नियुक्ति की स्वीकृति से पूर्व, रजिस्ट्रार को किसी तथ्य या परिस्थितियों को प्रकट करना होगा, जो उसकी निष्पक्षता या स्वतंत्रता का उचित संदेह पैदा कर सकता है।

(7) आपातकालीन मध्यस्थ की नियुक्ति की कोई चुनौती, उक्त नियुक्ति की रजिस्ट्रार द्वारा संसूचना के एक व्यावसायिक दिन के भीतर किसी भी पक्षकार द्वारा की जा सकती है और आवेदन में उन परिस्थितियों का कथन होना चाहिए, जो चुनौती का आधार बन सकते हैं।

(8) कोई आपातकालीन मध्यस्थ, उक्त विवाद से संबंधित किसी भविष्य के माध्यस्थम् में मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं करेगा, जब तक सभी पक्षकार सहमत न हों।

(9) इस प्रकार नियुक्त आपातकालीन मध्यस्थ अपनी नियुक्ति के दो व्यावसायिक दिनों के भीतर किसी पक्षकारो द्वारा प्रस्तुतियों और दस्तावेजों के फाइल किए जाने सहित सुनवाई का समय निर्धारित करेगा और सुरक्षा का कोई तत्काल अंतरिम उपाय देने से पूर्व विवाद के सभी पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा और आदेश में कारण अभिलिखित करेगा।

(10) पक्षकार आपातकालीन मध्यस्थ द्वारा किए गए किसी भी आदेश का पालन करेंगे।

(11) आपातकालीन मध्यस्थ को कोई अंतरिम अनुतोष, जो वह आवश्यक समझे, करने की शक्ति होगी।

(12) आपातकालीन मध्यस्थ का आदेश कर्मणों के संक्षिप्त कथन के साथ लिखित रूप में दिया जाएगा और हस्ताक्षरित किया जाएगा।

(13) आपातकालीन मध्यस्थ यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी आदेश करने की नियुक्ति की तारीख से माध्यस्थम् की संपूर्ण प्रक्रिया पन्द्रह दिनों के भीतर पूरी की जाएगी, जिसे रजिस्ट्रार द्वारा आपवादिक परिस्थितियों में या उक्त कार्यवाहियों के सभी पक्षकारों के लिखित करार द्वारा विस्तारित किया जा सकता है।

(14) आपातकालीन मध्यस्थ आदेश किए जाने के पश्चात् पदकार्य निवृत्त हो जाएगा और माध्यस्थम् अधिकरण का भाग नहीं रह जाएगा, जो इन विनियमों के अनुसार बाद में गठित किया जा सकता है, जब तक सभी पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति न दे दी जाए।

(15) आपातकालीन मध्यस्थ द्वारा लिए गए तत्काल अंतरिम उपायों के आदेश किसी मुद्दे या विवाद के गुण-दोष पर माध्यस्थम् अधिकरण को बाध्य नहीं होगा, जिसे माध्यस्थम् अधिकरण को निर्धारित करना आवश्यक है।

(16) आपातकालीन मध्यस्थ द्वारा किए गए आदेश की तारीख से दो महीने की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा, जब तक माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा उपांतरित, प्रतिस्थापित या निष्प्रभावी नहीं कर दिया जाता है :

परंतु माध्यस्थम् अधिकरण, उक्त आदेश को दो महीने की अवधि से आगे बढ़ाने की शक्ति रखता है, यदि वह लिखित रूप से कारण अभिलिखित करके आवश्यक समझे।

(17) आपातकालीन मध्यस्थ का कोई आदेश, किसी पक्षकार के आवेदन पर या उसकी स्वयं की पहल पर माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा दिए गए आदेश या पंचाट द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से पुष्टि, फेरफार या वापस लिया जा सकता है।

19. माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा अंतरिम उपाय—(1) पक्षकार, माध्यस्थम् कार्यवाही के दौरान, विवाद की विषयवस्तु, जो वह आवश्यक समझे, के संबंध में सुरक्षा के अंतरिम उपायों के लिए माध्यस्थम् अधिकरण को आवेदन कर सकते हैं, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे,—

(क) माध्यस्थम् कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिए अवयस्क या विकृत चित्त व्यक्तियों के लिए संरक्षक की नियुक्ति ;

(ख) निम्नलिखित किन्हीं मामलों के विषय में सुरक्षा के अंतरिम उपाय, अर्थात:-

(i) किन्हीं ऐसे मालों का परिरक्षण, अंतरिम उपाय या विक्रयजो माध्यस्थम् की विषय-वस्तु हैं ;

(ii) माध्यस्थम् में विवाद की रकम को सुनिश्चित करना ;

(iii) किसी संपत्ति या वस्तु के निरोध, संरक्षण या निरीक्षण, जो माध्यस्थम् में विवाद की विषयवस्तु है, या जिसके बारे में कोई प्रश्न उठ सकता है और उपरोक्त किसी भी प्रयोजन के लिए किसी भी व्यक्ति को किसी भी भूमि पर प्रवेश करने के लिए अधिकृत करने या किसी भी पक्षकार के कब्जे में भवन या किसी नमूने को लेने के लिए अधिकृत करना, या कोई अवलोकन करना या प्रयोग करने का प्रयास करना, जो पूरी जानकारी या साक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक और समीचीन है ;

(iv) अंतरिम व्यादेश या प्रापक की नियुक्ति करना ;

(v) सुरक्षा के अन्य अंतरिम उपाय, जो माध्यस्थम् अधिकरण को उचित और सुविधाजनक प्रतीत हों।

(2) यदि परिस्थितियां न्यायोचित हो तो माध्यस्थम् अधिकरण किसी पक्षकार के आवेदन पर उसके द्वारा किए गए अंतरिम उपाय को उपांतरित, निलंबित या समाप्त कर सकता है।

20. दावे का विवरण—(1) दावेदार, ऐसी अवधि के भीतर, जो माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा निर्धारित की जाए, दावे का विवरण प्रस्तुत करेगा, अधिमानतः उसे केन्द्र की वेबसाइट (www.indiaiac.org) उपलब्ध कराए गए पोर्टल पर अपलोड

करेगा या ई-मेल के माध्यम से, या माध्यस्थम् अधिकरण के साथ दावे के कथन की भौतिक प्रति फाइल करके, प्रत्यर्थी और केन्द्र की प्रति के साथ, माध्यस्थम् अधिकरण इस संबंध में किसी विनिर्दिष्ट निदेशों के विषय में पूरा ब्यौरा उपवर्णित करेगा,-

- (क) दावे का समर्थन करने वाले तथ्यों का विवरण ;
- (ख) सहायक दस्तावेजों की प्रतियां ; और
- (ग) दावा किया गया अनुतोष, सभी मात्रात्मक दावों की रकम के साथ ।

(2) यदि दावेदार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर दावे का अपना कथन प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो माध्यस्थम् अधिकरण, माध्यस्थम् कार्यवाहियों की समाप्ति के लिए आदेश जारी कर सकता है या ऐसे अन्य निदेश दे सकता है, जो उचित हो, जब तक कोई प्रतिवादी प्रतिदावा न करे और माध्यस्थम् जारी रखने का अनुरोध न करे ।

21. बचाव और प्रतिदावे के कथन - (1) प्रत्यर्थी अपने बचाव के कथन को माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर माध्यस्थम् अधिकरण के समक्ष केंद्र की (www.indiaiac.org) वेबसाइट पर या एक ई-मेल के माध्यम से, या बचाव की एक भौतिक प्रति फाइल करके उपलब्ध कराए गए पोर्टल पर अपलोड करके प्रस्तुत करेगा और इस संबंध में माध्यस्थम् अधिकरण के किसी विनिर्दिष्ट निर्देश के अधीन दावे के कथन को उल्लिखित करते हुए दावेदार और केंद्र को एक प्रति प्रस्तुत करें।

(2) बचाव के कथन में एक प्रतिदावा (यदि कोई हो) भी सम्मिलित हो सकता है, जो विनियमन 20 की अपेक्षा का अनुपालन करेगा।

(3) यदि कोई प्रतिदावा किया जाता है, तो दावेदार माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर, प्रत्यर्थी को (माध्यस्थम् अधिकरण और केंद्र को प्रति के साथ), प्रतिदावे के कथन को उल्लिखित करते हुए प्रतिदावे के बचाव का एक कथन भेजेगा ।

(4) यदि प्रत्यर्थी बचाव का कथन प्रस्तुत करने में विफल रहता है, या, यदि किसी भी स्तर पर माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा निर्देशित रीति से अपना मामला प्रस्तुत करने के अवसर का लाभ उठाता है तो माध्यस्थम् अधिकरण माध्यस्थम् के साथ आगे बढ़ सकता है।

22. दावे या बचाव के कथनों के लिए संशोधन- (1) एक पक्षकार माध्यस्थम् अधिकरण के बदले में अपने दावे, प्रति-दावे या अन्य अभिवचनों का संशोधन, पूरक या उपांतरण करता है जब तक कि माध्यस्थम् अधिकरण दूसरे पक्षकार या किसी अन्य परिस्थिति से होने वाले अनुरोध में विलंब के कारण या पूर्वाग्रह का ध्यान रखते हुए ऐसे संशोधन को अनुज्ञात करने के लिए उचित न समझे ।

(2) यदि किसी पक्षकार को अपने दावे या प्रतिदावे में संशोधन करने की अनुमति है, रजिस्ट्रार अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसे अतिरिक्त माध्यस्थम् अधिकरण की फीस और प्रशासनिक फीस का भुगतान करने के लिए अपेक्षा करेगा, जो उचित समझे।

23. आगे के अभिवचन- माध्यस्थम् अधिकरण यह विनिश्चय करेगा कि क्या पक्षकारों से और अधिक अभिवचन करने की अपेक्षा की जाएगी या उनके द्वारा प्रस्तुत किया जा सकेगा और यह ऐसे अभिवचन, यदि कोई हो, फाइल करने की अवधि तय करेगा।

24. अधिकारिता- (1) यदि कोई पक्षकार माध्यस्थम् समझौते के अस्तित्व या वैधता पर या माध्यस्थम् संचालित करने के लिए केंद्र की क्षमता पर आपत्ति करता है, तो वह इसके गठन के पश्चात् माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा विनिश्चय किया जाएगा।

(2) माध्यस्थम् अधिकरण के पास अपने अधिकार क्षेत्र पर विनिश्चय करने की शक्ति होगी, जिसके अंतर्गत माध्यस्थम् समझौते के अस्तित्व, समाप्ति या वैधता के संबंध में कोई आपत्ति भी सम्मिलित है ।

(3) यह अभिवचन कि माध्यस्थम अधिकरण के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, बचाव के कथन में या पक्षकार द्वारा अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति उठाने में विफलता के कारण प्रतिदावे के लिए बचाव के कथन में उस आक्षेप पर एक स्पष्ट छूट के रूप में समझा जाएगा।

25. कार्यवाहियों का संचालन- (1) माध्यस्थम अधिकरण माध्यस्थम को शासित करने वाली विधि में यथा उपबंधित रीति में माध्यस्थम का संचालन कर सकता है और जैसा कि यह विवाद के प्रभावी, निष्पक्ष और समय पर समाधान के लिए उचित समझता है।

(2) सभी मध्यस्थों की नियुक्ति के पश्चात् यथाशीघ्र, माध्यस्थम अधिकरण के साथ (व्यक्तिगत रूप से, ऑडियो/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा), उन प्रक्रियाओं पर चर्चा करने के लिए जो सबसे उपयुक्त होंगी और मामले को प्रभावी बनाने के लिए एक प्रारंभिक बैठक आयोजित करता है।

(3) प्रारंभिक बैठक के दौरान या उसके पश्चात्, माध्यस्थम अधिकरण प्रक्रियात्मक समय सारणी की स्थापना करेगा कि वह माध्यस्थम के संचालन के लिए अनुसरण करने का आशय रखता है (जिसके अंतर्गत पक्षकार साक्ष्य का नेतृत्व करेंगे और दिन प्रतिदिन के आधार पर मौखिक प्रस्तुतियाँ करेंगे और केंद्र और पक्षकारों के लिए प्रक्रियात्मक समय सारणी पर विचार-विमर्श करेंगे)।

(4) माध्यस्थम अधिकरण पक्षकारों से परामर्श करने के पश्चात्, और प्रक्रियात्मक उपाय या समय-समय पर प्रक्रियात्मक समय-सारणी को उपांतरित करेंगे और ऐसे सभी उपांतरित प्रक्रियात्मक समय-सारणी और आदेशों को प्रभावी मामला प्रबंध की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए पक्षकारों और केंद्र को संसूचित किया जाएगा।

(5) दावा के कथन और बचाव के कथन को फाइनल करना, यथास्थिति, माध्यस्थम या सभी मध्यस्थों को उनकी नियुक्ति के लिखित रूप में नोटिस प्राप्त करने की तारीख से छह मास की अधिकतम अवधि के भीतर पूर्ण की जाएगी।

(6) माध्यस्थम अधिकरण अभिवचन के पूर्ण किए जाने के पश्चात् मुद्दों की एक सूची विरचित करेगा, यदि ऐसा करने के लिए उचित प्रतीत होता हो।

(7) माध्यस्थम अधिकरण माध्यस्थम के साथ माध्यस्थम अधिकरण या बैठक या सुनवाई में भाग लेने के लिए कोई आंशिक या अंतरिम अधिनिर्णय के विनियमों या आदेशों या निर्देशों का अनुपालन करने में किसी पक्षकार की विफलता या मना करने के कारण कार्यवाही की जाएगी तथा उस पर ऐसी लागत अधिरोपित की जाएगी जो माध्यस्थम अधिकरण ऐसी परिस्थितियों में उचित समझे।

26. माध्यस्थम कार्यवाहियों की भाषा (1) जब तक कि पक्षकार अन्यथा सहमत न हों, माध्यस्थम की भाषा अंग्रेजी होगी।

(2) यदि कोई दस्तावेज़ माध्यस्थम की भाषा के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में है, माध्यस्थम अधिकरण या यदि माध्यस्थम अधिकरण नहीं स्थापित किया गया है, रजिस्ट्रार, माध्यस्थम की भाषा में दस्तावेज़ के अनुवाद को प्रस्तुत करने के लिए पक्षकार को आदेश दे सकता है।

27. पक्षकार के प्रतिनिधि (1) किसी भी पक्षकार के प्रतिनिधित्व, पक्षकार के प्रतिनिधित्व के प्राधिकार के सबूत को प्रस्तुत करने के अधीन विधिक व्यवसायियों या किसी अन्य अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाएगा।

(2) किसी पक्षकार या उसके प्रतिनिधियों में से किसी भी परिवर्तन या परिवर्धन को तुरंत रजिस्ट्रार, माध्यस्थम अधिकरण और अन्य पक्षकारों को लिखित में संसूचित किया जाएगा।

28. माध्यस्थम का स्थान/सीट - (1) पक्षकार माध्यस्थम के जगह/सीट पर सहमत हो सकते हैं ऐसे समझौते के विफल होने पर, माध्यस्थम का स्थान/सीट मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए माध्यस्थम अधिकरण द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(2) माध्यस्थम अधिकरण, पक्षकारों के परामर्श से सभी कार्यवाही की सुनवाई या तो भौतिक रूप से, वस्तुतः या मिश्रित रीति से कर सकता है और जहां माध्यस्थम की सुनवाई (साक्ष्य की रिकॉर्डिंग सहित) को पक्षकार के लिए भौतिक रूप से

आयोजित करने के लिए सहमत हो सकता है या जहां ऐसा कोई समझौता किसी स्थान पर नहीं आयोजित किया गया है, जो पक्षकारों से परामर्श करने के पश्चात् इसे किसी माध्यस्थम अधिकरण में सुविधाजनक या उचित समझे।

स्पष्टीकरण: माध्यस्थम का स्थान' से 'माध्यस्थम का स्थान' अभिप्रेत और विपर्ययेन होगा।

29. लागू विधि.- (1) माध्यस्थम अधिकरण, यथास्थिति, विवाद की मेरिट पर विनिश्चय करने के लिए, पक्षकारों द्वारा सहमत विधि या नियमों को लागू करेगा और पक्षकारों के मध्य ऐसे समझौते के विफल होने के मामले में, माध्यस्थम अधिकरण लागू ऐसी विधि या नियमों द्वारा मेरिट पर विवाद का विनिश्चय करेगा जिसे वह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अवधारित किया गया है।

(2) अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम के अतिरिक्त किसी माध्यस्थम में, माध्यस्थम अधिकरण भारत में तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार माध्यस्थम के लिए प्रस्तुत विवाद का विनिश्चय करेगा।

(3) माध्यस्थम अधिकरण सुलहकर्ता या सही और अच्छा के लिए के रूप में विनिश्चय करेगा केवल यदि पक्षकारों ने स्पष्ट रूप से माध्यस्थम अधिकरण को ऐसा करने के लिए अधिकृत किया है।

(4) सभी मामलों में, विस्तार के लिए संवन्धार के लिए लागू किसी व्यापार प्रथा को माध्यस्थम अधिकरण संविदा की शर्तों को हिसाब में लेगा रखेगा कि माध्यस्थम अधिकरण, माध्यस्थम के लिए सुसंगतता पर विचार करे।

30 सुनवाई - (1) जब तक पक्षकार अन्यथा सहमत न हों या जहां पक्षकार फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के लिए विकल्प लेता है, माध्यस्थम अधिकरण, यदि कोई पक्षकार ऐसा अनुरोध करता है या माध्यस्थम अधिकरण ऐसा विनिश्चय करता है, उस रीति से सुनवाई करेगा जो साक्ष्य की प्रस्तुति के लिए और अंतरिम आवेदनों पर मौखिक तर्कों के लिए, यदि कोई हो तथा विवाद के गुणों के आधार पर सहमत हो।

(2) माध्यस्थम अधिकरण किसी भी बैठक की तारीख, समय और स्थान तय करेगा या पक्षकारों को अग्रिम रूप से उचित सूचना देगा।

(3) यदि कोई भी पक्षकार, पर्याप्त कारण के बिना कार्यवाही के लिए, एक माध्यस्थम अधिकरण में उपस्थित होने में विफल रहता है, माध्यस्थम अधिकरण माध्यस्थम के साथ आगे बढ़ सकता है और उसके समक्ष साक्ष्य और प्रस्तुतियों के आधार पर अधिनिर्णय दे सकता है।

(4) जब तक पक्षकार अन्यथा सहमत न हों, सभी बैठकें और सुनवाई प्राइवेट रूप में की जाएगी और कार्यवाही में उपयोग की जाने वाली रिकॉर्डिंग, टेप, दस्तावेज या अन्य सामग्री गोपनीय रखी जाएगी।

31. साक्षी - (1) सुनवाई से पहले, माध्यस्थम अधिकरण को किसी भी साक्षी से अपेक्षा हो सकती है, जिसमें विशेषज्ञ साक्षी भी सम्मिलित हैं, जिन्हें, विषय और मुद्दों के लिए इसकी सुसंगतता के अधीन वह प्रस्तुत करने का आशय रखता है।

(2) माध्यस्थम अधिकरण के पास किसी पक्षकार प्रस्तुत किए जाने के आशय से द्वारा अनुमति देने, अस्वीकार करने या सीमित करने और साक्षी का परिसाक्ष्य देने के लिए समय अवधारित करने का विवेकाधिकार होगा।

(3) माध्यस्थम अधिकरण यह रीति अवधारित करेगा कि जिस तरह से साक्षी की परीक्षा की जानी है और यह निर्देश दे सकता है कि किसी भी साक्षी के परिसाक्ष्य को लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाए।

32. माध्यस्थम अधिकरण द्वारा विशेषज्ञों की नियुक्ति - (1) जब तक पक्षकार अन्यथा सहमत न हों, माध्यस्थम अधिकरण-

(क) पक्षकारों के परामर्श से, विशेष मुद्दों पर रिपोर्ट करने के लिए एक या अधिक विशेषज्ञ को नियुक्त कर सकता है जो लिखित रूप में माध्यस्थम अधिकरण द्वारा निर्धारित किए जाएंगे; और

(ख) कोई सुसंगत जानकारी या प्रस्तुत करने या निरीक्षण के लिए किसी भी सुसंगत दस्तावेज, माल या संपत्ति की पहुँच तक ऐसे विशेषज्ञ को देने के लिए पक्षकार से अपेक्षा करता हो।

- (2) इस प्रकार नियुक्त कोई भी विशेषज्ञ माध्यस्थम अधिकरण को लिखित में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और उक्त लिखित रिपोर्ट की प्राप्ति पर माध्यस्थम अधिकरण पक्षकारों के लिए रिपोर्ट की एक प्रति आपूर्ति करेगा।
- (3) जब तक पक्षकार अन्यथा सहमत न हों, यदि पक्षकार से इस प्रकार अनुरोध किया जाता है या यदि माध्यस्थम अधिकरण ऐसा करना आवश्यक समझे, ऐसा कोई विशेषज्ञ लिखित में रिपोर्ट के परिदान के पश्चात् मौखिक सुनवाई में भाग लेगा, जहां पक्षकार उनसे प्रतिपरीक्षा कर सकेंगे।
- (4) इस प्रकार नियुक्त किया गया कोई विशेषज्ञ एक घोषणा प्रस्तुत करेगा कि वह आंशिक रूप से और स्वतंत्र रूप से उपस्थित है और बना रहेगा।
- (5) विशेषज्ञ से संबंधित प्रभार और लागत पक्षकारों द्वारा वहन की जाएगी, जैसा कि माध्यस्थम अधिकरण द्वारा अवधारित किया गया हो।

33. अधिनिर्णय दिया जाना—(1) माध्यस्थम अधिकरण, इस बात से संतुष्ट होने पर कि पक्षकार को देने के लिए प्रस्तुत करने या सौपने के लिए आगे सुसंगत और भौतिक साक्ष्य नहीं है, कार्यवाही बंद कर दी जाएगी और माध्यस्थम अधिकरण, अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या अनुरोध पर कोई भी अधिनिर्णय दिए जाने से पहले पक्षकार, कार्यवाही को फिर से खोलती है।

- (2) माध्यस्थम अधिकरण उस तारीख से साठ दिनों के भीतर रजिस्ट्रार को सभी प्रारूप अधिनिर्णय सौपेगा, जिस पर वह कार्यवाही बंद घोषित करेगा, जब तक कि असाधारण परिस्थितियों में माध्यस्थम अधिकरण द्वारा और आवेदन न किया जाए या रजिस्ट्रार के स्वयं के प्रस्ताव पर, रजिस्ट्रार प्रारूप अधिनिर्णय सौपने की अवधि बढ़ा देता है।
- (3) रजिस्ट्रार प्रारूप अधिनिर्णय के प्ररूप में इक्कीस दिनों के भीतर परिवर्तन का सुझाव दे सकता है और माध्यस्थम अधिकरण के विनिश्चय पर प्रभाव के बिना प्रारूप अधिनिर्णय में किसी भी टाइपोग्राफिक या लिपिकीय त्रुटियों को इंगित कर सकता है।
- (4) माध्यस्थम अधिकरण ऐसे परिवर्तन कर सकता है, यदि कोई हो, जो वह अधिनिर्णय के लिए उपयुक्त समझे।
- (5) माध्यस्थम अधिकरण अलग-अलग समय पर अलग-अलग मुद्दों पर आंशिक अधिनिर्णय दे सकता है।
- (6) जहां माध्यस्थम अधिकरण में एक से अधिक माध्यस्थम होते हैं, वहां माध्यस्थम अधिकरण बहुमत से विनिश्चय करता है।
- (7) अधिनिर्णय लिखित रूप में दिया जाएगा और माध्यस्थम अधिकरण द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और जब तक अन्यथा पक्षकारों द्वारा लिखित रूप में नहीं दिया जाता है, अधिनिर्णय उन कारणों को बताएगा जिन पर यह आधार है।
- (8) अधिनिर्णय किसी भी संख्या में समकक्षों में निष्पादित किया जा सकता है, जिनमें से प्रत्येक एक मूल है ये सभी मिलकर एक ही अधिनिर्णय का साक्ष्य देते हैं।
- (9) जहां तीन मध्यस्थ हैं और उनमें से कोई भी अधिनिर्णय पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है, अधिनिर्णय ऐसे मध्यस्थ के हस्ताक्षर की अनुपस्थिति का कारण बताता है।
- (10) यदि माध्यस्थम अधिकरण के बहुमत माध्यस्थम अधिनिर्णय पर हस्ताक्षर करते हैं, और इन विनियमों के प्रयोजन के लिए यह अंतिम होगा, परंतु सभी मध्यस्थ को अधिनिर्णय पर हस्ताक्षर करने के लिए उचित अवसर प्रदान किया गया था।
- (11) माध्यस्थम अधिकरण द्वारा पंचाट रजिस्ट्रार को परिदत्त किया जाएगा, जो माध्यस्थम के खर्चे के पूर्ण समझौते पर पक्षकारों को प्रमाणीकृत प्रतियां पारेषित करेगा।

(12) माध्यस्थम अधिकरण, किसी मूल राशि पर, जो माध्यस्थम का विषय हो, ऐसी दरों पर, जिस पर पक्षकार सहमत हों, या ऐसे करार के अभाव में, जो माध्यस्थम अधिकरण अवधारित करे, या किसी अवधि के संबंध में, जो वह समुचित होना अवधारित करे, ब्याज प्रदत्त कर सकेगा।

(13) समझौते की स्थिति में, यदि पक्षकार ऐसा निवेदन करे, तो माध्यस्थम अधिकरण समझौते को अभिलेखबद्ध करते हुए सहमति का ठहराव कर सकेगा, परंतु ऐसा पंचाट सदैव यह अभिव्यक्त कथन अंतर्विष्ट करता हो कि यह पंचाट पक्षकारों की सहमति से किया गया है, जिसमें कारण अंतर्विष्ट करने की आवश्यकता नहीं है।

(14) यदि पक्षकारों की सहमति पंचाट अपेक्षित नहीं है, तो पक्षकार माध्यस्थम अधिकरण तथा रजिस्ट्रार को यह संपुष्ट करेंगे कि समझौता हो गया है।

(15) माध्यस्थम अधिकरण को निर्मोचित कर दिया जाएगा तथा माध्यस्थम के किन्हीं बकाया खर्चों के संदाय पर माध्यस्थम का समापन हो जाएगा।

(16) इन विनियमों के अधीन माध्यस्थम पर सहमत होने पर, पक्षकार सहमत है कि पंचाट किए जाने की तारीख से यह अंतिम तथा पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

34. पंचाट, अतिरिक्त पंचाट की शुद्धि और निर्वचन—(1) माध्यस्थम पंचाट की प्राप्ति से तीस दिनों के भीतर,—

(क) कोई पक्षकार दूसरे पक्षकार को नोटिस देकर माध्यस्थम अधिकरण से अनुरोध कर सकेगा कि पंचाट में होने वाली संगणना त्रुटियां, कोई लिपिकीय या टंकन संबंधी त्रुटियां या इसी प्रकार की कोई अन्य त्रुटियां ठीक कर दी जाए ;

(ख) पक्षकारों के सहमत होने पर, कोई दूसरे पक्षकार को नोटिस देकर माध्यस्थम अधिकरण को पंचाट के विनिर्दिष्ट बिन्दु या भाग का निर्वचन करने का अनुरोध कर सकेगा ;

(2) यदि माध्यस्थम अधिकरण का उप विनियम (1) के अधीन किए गए अनुरोध से समाधान हो जाता है तो वह अनुरोध प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर शुद्धि या निर्वचन करेगा और निर्वचन माध्यस्थम पंचाट का भाग होगा।

(3) माध्यस्थम अधिकरण, पंचाट की तारीख से तीस दिनों के भीतर, स्वयं की पहल पर, उप विनियम (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट प्रकार की किसी त्रुटि को ठीक कर सकेगा।

(4) कोई पक्षकार दूसरे पक्षकार को नोटिस देकर, पंचाट प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर, माध्यस्थम कार्यवाहियों में प्रस्तुत किए गए, किंतु पंचाट से लोप किए गए दावों के संबंध में अतिरिक्त पंचाट करने का अनुरोध कर सकेगा।

(5) यदि माध्यस्थम अधिकरण का उप विनियम (4) के अधीन किए गए अनुरोध से समाधान हो जाता है तो वह ऐसे अनुरोध की प्राप्ति से साठ दिनों के भीतर अतिरिक्त पंचाट करेगा।

(6) यदि आवश्यक हो तो, माध्यस्थम अधिकरण उस अवधि का विस्तार कर सकेगा, जिसके भीतर वह उप विनियम (2) या उप विनियम (5) के अधीन शुद्धि करेगा, निर्वचन करेगा या अतिरिक्त पंचाट करेगा।

(7) पंचाट की शुद्धि, निर्वचन या अतिरिक्त पंचाट पर विनियम 33 लागू होगा।

35. माध्यस्थम की फीस और व्यय—(1) मध्यस्थ की फीस और प्रशासनिक फीस, रजिस्ट्रार द्वारा अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस के अनुसार नियत की जाएगी।

(2) माध्यस्थम अधिकरण के युक्तियुक्त जेब से न किए गए व्यय आवश्यक रूप से उपगत और अन्य भत्ते लागू व्यवहार निदेशों के अनुसार प्रतिपूर्ति किए जाएंगे।

36. माध्यस्थम के खर्चों के लिए जमा—(1) रजिस्ट्रार, माध्यस्थम के खर्चों के लिए जमाओं की रकम नियत करेगा।

- (2) यदि रजिस्ट्रार, अन्यथा निदेश नहीं देता है तो ऐसे जमाओं का पचास प्रतिशत दावा करने वाले द्वारा संदत्त होगा और ऐसे जमाओं का बकाया पचास प्रतिशत प्रत्यर्थी द्वारा संदेय होगा और रजिस्ट्रार, क्रमशः दावों और प्रतिदावों के लिए खर्चों पर पृथक् अग्रिम नियत कर सकेगा।
- (3) जहाँ संदाय के शोध्य होने के समय दावे या प्रतिदावे की रकम नियत नहीं की जा सकती है, माध्यस्थम के खर्चों का अनंतिम प्राक्कलन, विवाद की प्रकृति, संविदा रकम तथा मामले की परिस्थितियों के आधार पर रजिस्ट्रार द्वारा किया जाएगा, जिसका पश्चात्पूर्ति समायोजन किया जाएगा।
- (4) रजिस्ट्रार, समय-समय पर, पक्षकारों के निमित्त या उनके फायदे के लिए उपगत किए गए या उपगत किए जाने वाले माध्यस्थम के खर्चों के लिए और संदाय करने हेतु पक्षकारों को निदेश देगा।
- (5) यदि कोई पक्षकार यथा निदेशित जमा करने में असफल रहता है तो रजिस्ट्रार, माध्यस्थम अधिकरण से परामर्श करने के पश्चात् और पक्षकारों को सूचित करने के पश्चात्, माध्यस्थम कार्यवाहियों को निलंबित करने तथा अवधि निश्चित करने, जो साठ दिन से अनधिक होगी, का निदेश माध्यस्थम अधिकरण को देगा, जिसके अवसान पर, विधि के अनुसार नए सिरे से अन्य कार्यवाही में उन्हीं दावों या प्रतिदावों को पुनः आरंभ करते हुए पक्षकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सुसंगत दावे या प्रतिदावे समाप्त हो जाएंगे।
- (6) पक्षकार संयुक्त रूप से और पृथक् रूप से माध्यस्थम के खर्चों के लिए जमाओं हेतु दायी हैं।
- (7) कोई भी पक्षकार, दावे या प्रतिदावे के संबंध में माध्यस्थम के खर्चों के लिए संपूर्ण जमा का संदाय करने के लिए स्वतंत्र है, यदि अन्य पक्षकार उसके हिस्से का संदाय करने में असफल रहता है।
- (8) यदि माध्यस्थम में सुनवाई के बिना समझौता या उसका निपटारा हो जाता है तो माध्यस्थम के खर्चों मामले की परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए रजिस्ट्रार द्वारा अंतिम रूप से अवधारित किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत कार्यवाहियों का प्रक्रम भी है, जिस पर माध्यस्थम का समझौता या निपटारा होता है।
- (9) अवधारित माध्यस्थम के खर्चों किए गए जमाओं से कम होने की स्थिति में, केन्द्र द्वारा पक्षकारों को ऐसे अनुपातों में प्रतिदाय किया जाएगा, जैसे जमा किए जाएं, यदि पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति नहीं की गई हो।
- (10) संपूर्ण जमा केन्द्र को किए जाएंगे तथा उसके द्वारा धारित होंगे और ऐसे जमाओं पर प्रोद्भूत होने वाला कोई ब्याज उसके द्वारा रखा जाएगा।
- (11) माध्यस्थम के असंदत्त किन्हीं खर्चों के लिए माध्यस्थम पंचाट पर केन्द्र का धारणाधिकार होगा, यदि ऐसे कोई खर्च पक्षकारों द्वारा या उनमें से किसी एक द्वारा केन्द्र को पूर्णतः संदत्त नहीं किए जाते हैं।

37. माध्यस्थम के खर्चों—(1) माध्यस्थम अधिकरण, पंचाट में माध्यस्थम के खर्चों की कुल रकम विनिर्दिष्ट करेगा और यदि पक्षकार अन्यथा सहमत न हुए हों तो माध्यस्थम अधिकरण पक्षकारों के मध्य माध्यस्थम के खर्चों के प्रभाजन को पंचाट में अवधारित करेगा।

(2) "माध्यस्थम के खर्चों" पद में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :—

(क) माध्यस्थम अधिकरण की फीस और व्यय ;

(ख) केन्द्र की प्रशासन फीस और इसके व्यय ; और

(ग) विशेषज्ञ सलाह के तथा माध्यस्थम अधिकरण द्वारा अपेक्षित अन्य युक्तियुक्त सहायता के खर्चों।

38. विधिक और अन्य खर्चों—(1) माध्यस्थम अधिकरण को अपने पंचाट में यह आदेश करने का प्राधिकार होगा कि एक पक्षकार के विधिक या अन्य खर्चों पूर्णतः या भागतः दूसरे पक्षकार द्वारा संदत्त किए जाएं।

(2) माध्यस्थम अधिकरण अपने विनिश्चय करते समय, खर्चों, सुसंगत परिस्थितियों पर विचार करेगा, जिसके अंतर्गत वह सीमा भी है, जिस तक प्रत्येक पक्षकार ने त्वरित रीति में माध्यस्थम संचालित किया है।

39. नियुक्ति फीस—(1) अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट, नियुक्ति फीस संदेय होगी, जब तदर्थ माध्यस्थम में केन्द्र को मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अनुरोध किया जाता है और जहां पक्षकार, विवाद उद्भूत होने के पूर्व या पश्चात्, ऐसी नियुक्ति को केन्द्र से करने के लिए सहमत हो जाते हैं और ऐसी नियुक्ति फीस, नियुक्ति के लिए अनुरोध करने वाले पक्षकार द्वारा संदेय होगी।

(2) जहां मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए न्यायालय केन्द्र को मामला निर्दिष्ट करता है या ऐसी नियुक्ति के लिए पक्षकार द्वारा आवेदन किया जाता है, तो नियुक्ति फीस उस पक्षकार द्वारा संदेय होगी, जिसने मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए न्यायालय को आवेदन किया है।

(3) जहां न्यायालय स्वयं मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए मामला केन्द्र को निर्दिष्ट करता है, तो नियुक्ति फीस बराबर हिस्से में दोनों पक्षकारों द्वारा संदेय होगी या कोई एक पक्षकार नियुक्ति फीस की संपूर्ण रकम का संदाय कर सकेगा।

40. दायित्व का अपवर्जन—(1) केन्द्र, अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रजिस्ट्रार, सलाहकार पेनल या केन्द्र के माध्यस्थम चैंबर का सदस्य, अन्य अधिकारी, कर्मचारी, कोई मध्यस्थ या आकस्मिकता मध्यस्थ, इन विनियमों के अधीन संचालित किसी माध्यस्थम के संबंध में सद्भावपूर्वक किसी अवहेलना, कृत्य या लोप के लिए किसी व्यक्ति के प्रति दायी नहीं होंगे।

(2) केन्द्र, अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रजिस्ट्रार, सलाहकार पेनल या केन्द्र के माध्यस्थम चैंबर का सदस्य, अन्य अधिकारी, कर्मचारी, कोई मध्यस्थ या आकस्मिकता मध्यस्थ, इन विनियमों के अधीन संचालित किसी माध्यस्थम के संबंध में कोई कथन करने के लिए बाध्य नहीं होंगे तथा कोई पक्षकार इन विनियमों के अधीन संचालित किसी माध्यस्थम के संबंध में किन्हीं विधिक कार्यवाहियों में अध्यक्ष, कोई सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी, कोई मध्यस्थ या आकस्मिकता मध्यस्थ को, साक्षी के रूप में कार्य करने के लिए वांछा नहीं करेगा।

41. आक्षेप करने के अधिकार का त्यजन—(1) कोई पक्षकार, इन विनियमों के अधीन किन्हीं अपेक्षाओं, या उपबंधों में से किन्हीं उपबंधों, और जो इन कार्यवाहियों को लागू होते हैं, के पालन करने में असफलता, माध्यस्थम अधिकरण द्वारा दिए गए किसी निदेश, या माध्यस्थम करार के अधीन माध्यस्थम अधिकरण के गठन या कार्यवाहियों के संचालन से संबंधित किसी अपेक्षा का अनुपालन करने में असफलता के बारे में जानता है या उसे जानना चाहिए, और फिर भी तुरंत अपने आक्षेप का कथन किए बिना, या यदि उस आक्षेप को कथन करने के लिए अवधि उपबंधित है तो, उस अवधि के भीतर, आक्षेप का कथन किए बिना माध्यस्थम में आगे बढ़ता है, तो अपने आक्षेप करने के अधिकार का त्यजन किया गया समझा जाएगा।

42. गोपनीयता—(1) पक्षकार, माध्यस्थम अधिकरण, आकस्मिक मध्यस्थ, केन्द्र के सदस्य और केन्द्र, सभी समय पर माध्यस्थम और पंचाट से संबंधित सभी विषयों को, जिसके अंतर्गत कार्यवाहियां भी हैं, गोपनीय रखेगा।

(2) कोई पक्षकार या मध्यस्थ, निम्नलिखित के सिवाए, सभी पक्षकारों की पूर्व लिखित सहमति के बिना, ऐसे किसी विषय को तीसरे पक्षकार को प्रकट नहीं करेगा,—

- (क) पंचाट के प्रवर्तन या उसे चुनौती देने के लिए सक्षम अधिकारिता के न्यायालय को आवेदन करने के प्रयोजन के लिए; या
- (ख) सक्षम अधिकारिता के न्यायालय द्वारा किए गए आदेश के अनुसरण में; या
- (ग) किसी विधिक अधिकार या दावे को प्राप्त करने या उसका प्रवर्तन करने के प्रयोजन के लिए; या
- (घ) किन्हीं विधियों के अनुपालन में, जो प्रकटन करने वाले पक्षकार पर बाध्यकारी हैं; या

- (ड) किसी विधि के अधीन किसी विनियामक निकाय या अन्य प्राधिकारी के अनुरोध या अपेक्षा के अनुपालन में ;
या
- (च) अन्य पक्षकारों को उचित नोटिस देकर किसी पक्षकार द्वारा आवेदन पर माध्यस्थम अधिकरण द्वारा आदेश के अनुसरण में ।

(3) इस विनियम में, "कार्यवाहियों से संबंधित विषय" से कार्यवाहियों का अस्तित्व और माध्यस्थम कार्यवाहियों में अभिवचन, साक्ष्य और अन्य सामग्रियां तथा कार्यवाहियों में अन्य पक्षकार द्वारा प्रस्तुत सभी अन्य दस्तावेज या कार्यवाहियों से उद्भूत पंचाट अभिप्रेत हैं, किंतु इसमें वह अन्य विषय अपवर्जित है, जो अन्यथा लोक डोमेन में हैं ।

43. अध्यक्ष, सदस्यों, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और रजिस्ट्रार के विनिश्चय—(1) इन विनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इन विनियमों के अधीन संचालित किसी माध्यस्थम से संबंधित सभी विषयों के संबंध में अध्यक्ष, सदस्यों, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और रजिस्ट्रार के विनिश्चय निश्चयात्मक होंगे और पक्षकारों तथा माध्यस्थम अधिकरण पर आबद्ध होंगे।

(2) अध्यक्ष, सदस्यों, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और रजिस्ट्रार को ऐसे विनिश्चयों के कारण देने की अपेक्षा नहीं होगी, जब तक इन विनियमों में ऐसा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित न हो ।

44. प्रकीर्ण—(1) ऐसे सभी विषयों में, जो इन विनियमों में स्पष्ट रूप से उपबंधित नहीं है, अध्यक्ष, सदस्य, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रजिस्ट्रार और अधिकरण, इन विनियमों के अनुरूप कार्य करेंगे और माध्यस्थम के ऋजु, त्वरित और कम लागत वाले परिणाम को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक युक्तियुक्त उपाय करेंगे ।

(2) केन्द्र, समय-समय पर, माध्यस्थम के प्रशासन को सुकर बनाने के प्रयोजन के लिए, इन विनियमों के कार्यान्वयन हेतु व्यवहार निदेश जारी करेगा ।

अनुसूची

माध्यस्थम के लिए फीस

भाग 1- घरेलू माध्यस्थम-

(क) अप्रतिदेय फाईल करने की फीस-5000 भारतीय रुपए + जीएसटी, जो लागू हो

(ख) प्रशासन फीस

क्र.सं.	विवाद में रकम(भारतीय रुपए) [दावा + प्रतिदावा (यदि कोई हो)]	प्रशासन फीस (भारतीय रुपए) (जीएसटी के सिवाय)
(i)	25,00,000 तक	15,000
(ii)	25,00,000 से अधिक और 1,00,00,000 तक	25,000
(iii)	1,00,00,000 से अधिक और 5,00,00,000 तक	50,000
(iv)	5,00,00,000 से अधिक और 7,00,00,000 तक	75,000
(v)	7,00,00,000 से अधिक और 10,00,00,000 तक	90,000
(vi)	10,00,00,000 से अधिक और 25,00,00,000 तक	1,00,000
(vii)	25,00,00,000 से अधिक	1,50,000

टिप्पणः- केन्द्र की प्रशासन फीस में निम्नलिखित अंतर्विष्ट नहीं किया जाता है, अर्थात् :-

- (क) माध्यस्थम् के संबंध में केन्द्र द्वारा उपगत संवितरण और आनुषंगिक व्यय;
- (ख) सुविधाओं और समर्थन सेवाओं के उपयोग के लिए खर्च (उदाहारण के लिए: सुनवाई कक्ष, उपस्कर, प्रतिलेखन सेवाओं और निर्वचन सेवाओं का किराया), जो लागू किया जाए;
- (ग) माल और सेवा कर (जीएसटी) जो लागू किया जाए।

(ग) मध्यस्थ फीस- प्रत्येक मध्यस्थ के लिए

क्र.सं.	विवाद में रकम(भारतीय रुपए) [दावा + प्रतिदावा (यदि कोई हो)]	मध्यस्थ फीस (भारतीय रुपए) (जीएसटी के सिवाय)
(i)	5,00,000 तक	45,000
(ii)	5,00,000 से अधिक और 20,00,000 तक	5,00,000 से अधिक की रकम का 45,000 + 3.5 %
(iii)	20,00,000 से अधिक और 1,00,00,000 तक	20,00,000 से अधिक की रकम का 97,500 + 3 %
(iv)	1,00,00,000 से अधिक और 10,00,00,000 तक	1,00,00,000 से अधिक की रकम का 3,37,500 + 1%
(v)	10,00,00,000 से अधिक और 20,00,00,000 तक	10,00,00,000 से अधिक की रकम का 12,37,500 + 0.75 %
(vi)	20,00,00,000 से अधिक और 50,00,00,000 तक	20,00,00,000 से अधिक की रकम का + 48,62,500 + 0.50 %
(vii)	50,00,00,000 से अधिक 75,00,00,000 तक	50,00,00,000 से अधिक की रकम का 78,62,500 + 0.25 %
(viii)	75,00,00,000 से अधिक 100,00,00,000 तक	75,00,00,000 से अधिक की रकम का 84,87,500 + 0.10 %
(ix)	100,00,00,000 से अधिक 200,00,00,000 तक	100,00,00,000 से अधिक की रकम का 87,37,500 + 0.03 %
(x)	200,00,00,000 से अधिक	91,00,000

टिप्पणः- यदि माध्यस्थम् अधिकरण में एकमात्र मध्यस्थ समाविष्ट है, तो वह ऊपर उपवर्णित सारणी के अनुसार संदेय फीस पर 25% की अतिरिक्त रकम का हकदार होगा।

(2) मध्यस्थ फीस में अंतर्विष्ट नहीं किए जाते हैं -

- (क) मध्यस्थ के व्यय;
- (ख) माल और सेवा कर (जीएसटी) जो लागू किया जाए।

(घ) आपात मध्यस्थ कार्यवाहियों के लिए फीस

केन्द्र की प्रशासन फीस -	1,00,000/- भारतीय रुपए
आपात मध्यस्थ फीस -	7,00,000/- भारतीय रुपए

टिप्पणः- आपात मध्यस्थ कार्यवाहियों के लिए फीस में निम्नलिखित अंतर्विष्ट नहीं किया जाता है, अर्थात् :-

- (क) आपात मध्यस्थ कार्यवाहियों के संबंध में केन्द्र द्वारा उपगत संवितरण और आनुषंगिक व्यय;
- (ख) आपात मध्यस्थ के व्यय ;
- (ग) सुविधाओं और समर्थन सेवाओं के उपयोग के लिए खर्च (उदाहारण के लिए: सुनवाई कक्ष, उपस्कर, प्रतिलेखन सेवाओं और निर्वचन सेवाओं का किराया) जो लागू किया जाए;
- (घ) माल और सेवा कर (जीएसटी) जो लागू किया जाए।

भाग 2- अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम्-

(क) **अप्रतिदेय फाईल करने की फीस-** 500/- यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर (या भारतीय रुपए में समतुल्य) + माल और सेवा कर (जीएसटी), जो लागू हो।

(ख) प्रशासन फीस

क्र.सं.	विवाद में रकम(यूनाइटेड स्टेट्स या भारतीय रुपए में समतुल्य) [दावा + प्रतिदावा (यदि कोई हो)]	प्रशासन फीस (यूनाइटेड स्टेट्स या भारतीय रुपए में समतुल्य) (जीएसटी के सिवाय)
(i)	50,000 तक	1,000
(ii)	50,000 से अधिक और 100,000 तक	50,000 से अधिक की रकम का 1,000 + 2 %
(iii)	100,000 से अधिक और 500,000 तक	100,000 से अधिक की रकम का 2,000 + 1 %
(iv)	500,000 से अधिक और 1,000,000 तक	500,000 से अधिक की रकम का 6,000 + 0.60%
(v)	1,000,000 से अधिक और 2,000,000 तक	1,000,000 से अधिक की रकम का 9,000 + 0.30 %
(vi)	2,000,000 से अधिक और 5,000,000 तक	2,000,000 से अधिक की रकम का 12,000 + 0.10 %
(vii)	5,000,000 से अधिक	15,000

टिप्पणः- केन्द्र की प्रशासन फीस में निम्नलिखित अंतर्विष्ट नहीं किया जाता है, अर्थात् :-

- (क) माध्यस्थम् के संबंध में केन्द्र द्वारा उपगत संवितरण और आनुषंगिक व्यय;
- (ख) सुविधाओं और समर्थन सेवाओं के उपयोग के लिए खर्च (उदाहारण के लिए: सुनवाई कक्ष, उपस्कर, प्रतिलेखन सेवाओं और निर्वचन सेवाओं का किराया) जो लागू किया जाए;
- (ग) माल और सेवा कर (जीएसटी) जो लागू किया जाए।

(ग) मध्यस्थ फीस- प्रत्येक मध्यस्थ के लिए

क्र.सं.	विवाद में रकम(यूनाइटेड स्टेट्स या भारतीय रुपए में समतुल्य) [दावा + प्रतिदावा (यदि कोई हो)]	मध्यस्थ फीस (यूनाइटेड स्टेट्स या भारतीय रुपए में समतुल्य) (जीएसटी के सिवाय)
(i)	50,000 तक	5,000
(ii)	50,000 से अधिक और 100,000 तक	50,000 से अधिक की रकम का 5000 + 10 %
(iii)	100,000 से अधिक और 500,000 तक	100,000 से अधिक की रकम का 10,000 + 6 %
(iv)	500,000 से अधिक और 1,000,000 तक	500,000 से अधिक की रकम का 34,000 + 4 %
(v)	1,000,000 से अधिक और 2,000,000 तक	1,000,000 से अधिक की रकम का 54,000 + 2.5 %
(vi)	2,000,000 से अधिक और 5,000,000 तक	2,000,000 से अधिक की रकम का 79,000 + 1.25 %
(vii)	5,000,000 से अधिक 10,000,000 तक	5,000,000 से अधिक की रकम का 116,500 + 0.60 %
(viii)	10,000,000 से अधिक 50,000,000 तक	10,000,000 से अधिक की रकम का 146,500 + 0.10 %
(ix)	50,000,000 से अधिक 100,000,000 तक	50,000,000 से अधिक की रकम का 186,500 + 0.025 %
(x)	100,000,000 से अधिक	200,000

टिप्पणः- मध्यस्थ की फीस में अंतर्विष्ट नहीं किया जाता है:-

(क) मध्यस्थ के व्यय

(ख) माल और सेवा कर (जीएसटी) जो लागू किया जाए।

(घ) आपात मध्यस्थ कार्यवाहियों के लिए फीस

केन्द्र की प्रशासन फीस 2000/- यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर
(या भारतीय रुपए में समतुल्य)

आपात मध्यस्थ फीस 15,000/- यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर
(या भारतीय रुपए में समतुल्य)

टिप्पणः- आपात मध्यस्थ कार्यवाहियों के लिए फीस में निम्नलिखित अंतर्विष्ट नहीं किया जाता है, अर्थात् :-

(क) आपात मध्यस्थ कार्यवाहियों के संबंध में केन्द्र द्वारा उपगत संवितरण और आनुषंगिक व्यय;

(ख) आपात मध्यस्थ के व्यय ;

(ग) सुविधाओं और समर्थन सेवाओं के उपयोग के लिए खर्च (उदाहारण के लिए: सुनवाई कक्ष, उपस्कर, प्रतिलेखन सेवाओं और निर्वचन सेवाओं का किराया)

(घ) माल और सेवा कर (जीएसटी) जो लागू किया जाए।

भाग 3 – तदर्थ माध्यस्थम् मामलों में नियुक्ति फीस

घरेलू माध्यस्थम्

(क) 1 मध्यस्थ - 5000/- भारतीय रुपए;

(ख) 2 मध्यस्थ - 10,000/- भारतीय रुपए;

(ग) 3 मध्यस्थ - 15,000/- भारतीय रुपए;

अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम्

(क) 1 मध्यस्थ - 500/- यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर (या भारतीय रुपए में समतुल्य)

(ख) 2 मध्यस्थ -1,000/- यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर (या भारतीय रुपए में समतुल्य)

(ग) 3 मध्यस्थ -1,500/- यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर (या भारतीय रुपए में समतुल्य)

हेमंत गुप्ता, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./406/2023-24]

INDIA INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 2023

F. No. A-60011/96/2023-Administration(AR)-IIAC.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 31 of the India International Arbitration Centre Act, 2019 (17 of 2019), the India International Arbitration Centre with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations to provide for the conduct of arbitration, namely: -

1. **Short title and commencement.** - (1) These regulations may be called the India International Arbitration Centre (Conduct of Arbitration) Regulations, 2023.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Definitions.** - (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, -
 - (a) “Act” means the India International Arbitration Centre Act, 2019 (17 of 2019);
 - (b) “advisory panel” means a panel constituted by the Centre under regulation 9 for the purpose of advising the Chairperson in relation to the appointment of arbitrator, other than an emergency arbitrator;
 - (c) “administration fee” means the administration fee specified in the Schedule;
 - (d) “Arbitral Tribunal” includes a sole arbitrator or all the arbitrators where more than one arbitrator is appointed;
 - (e) “arbitrator’s fee” means the arbitrator’s fee specified in the Schedule;
 - (f) “Arbitration Act” means the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (26 of 1996);
 - (g) “award” includes an interim, partial, final or additional award;
 - (h) “Centre” means the India International Arbitration Centre, established and incorporated under section 3 of the Act;

- (i) "Chairperson" means the Chairperson of the Centre referred to in clause (a) of section 5 of the Act;
 - (j) "Chamber of Arbitration" means the Chamber of Arbitration as defined under section 28 of the Act;
 - (k) "Chief Executive Officer" means the Chief Executive Officer appointed under section 21 of the Act;
 - (l) "emergency arbitrator" means an arbitrator appointed pursuant to regulation 18;
 - (m) "filing fee" means the filing fee specified in the Schedule;
 - (n) "Member" means a member of the Centre referred to in section 5 of the Act;
 - (o) "panel of arbitrators" means the panel of arbitrators maintained by the Centre;
 - (p) "practice directions" means the guidelines published by the Centre from time to time, to implement these regulations;
 - (q) "Registrar" means the registrar of the Centre or any other person entrusted with the duties of the registrar;
 - (r) "Schedule" means the Schedule appended to these regulations;
- (2) The words and expressions used herein and not defined but defined in the Act or in the Arbitration Act shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts.

3. Application. - Where parties have agreed to refer their dispute to the Centre for arbitration (whether before or after a dispute has arisen) or where any Court directs that the arbitration be conducted between the parties under the aegis of the Centre, the parties shall be deemed to have agreed that the arbitration is to be conducted or administered by the Centre in accordance with the provisions of these regulations.

4. Request for arbitration. - (1) An arbitration proceeding under these regulations shall commence, -

- (a) when a party makes a request, preferably by uploading it on the portal provided on the website of the Centre (*www.indiaiac.org*), or by way of an e-mail to the Registrar, or by filing the physical copy of the request with the Centre; or
 - (b) on receipt of a judgment, direction or order of any Court referring the parties to the Centre for arbitration.
- (2) When a party makes a request for arbitration with the Centre (hereinafter referred to as the claimant), the request must contain or be accompanied by, -
- (a) the order of the Court referring the parties to arbitration, in cases covered by clause (b) of sub-regulation (1);
 - (b) the complete arbitration clause or the separate arbitration agreement where the parties have agreed for conduct of arbitration by or under the Centre;
 - (c) a reference to and, where possible, a copy of the contract or other instruments out of, or in relation to which, the dispute has arisen;
 - (d) the full name and postal address including telephone number, mobile number and electronic mail address, to the extent known, of the parties to the arbitration and their legal representative and successor in interest, if any;
 - (e) a statement briefly describing the nature and circumstances of the dispute and the claims made against other party to the arbitration (hereinafter referred to as the respondent), specifying the relief sought (including the amounts of any quantified claims and, to the extent possible, an estimate of the monetary value of any such claims);
 - (f) a statement of any matters which the parties have previously agreed with regard to conduct of the arbitration or with respect to which the claimant desires to make a proposal as regard to the number of arbitrators, governing law of the contract, governing law of arbitration, the language of the arbitration and place/seat of arbitration;
 - (g) the nomination of an arbitrator, if the arbitration agreement provides for three arbitrators, or a proposal nominating a sole arbitrator if the arbitration agreement provides for a sole arbitrator, unless the parties have agreed otherwise including the power of nomination and appointment, as the case may be, being conferred with the Chairperson or the Centre in accordance with these regulations or except where an arbitrator has been named by a Court referring the parties for arbitration;
 - (h) confirmation that copies of the request for arbitration and any documents, have been or are being served simultaneously on all other parties, specifying the mode of service employed and the date of service, to

be supported then or as soon as possible thereafter by documentary proof of actual delivery including the date of delivery; and

(i) confirmation that the requisite filing fee as specified in the Schedule has been paid.

(3) The request for arbitration shall not prevent any party from subsequently adding, supplementing or amending in its pleadings, the matters referred to arbitration or the reliefs claimed, provided such matters and reliefs fall within the scope of the arbitration agreement and are relevant to the dispute.

(4) The date of receipt of the complete request for arbitration by the Centre shall be deemed to be the date of commencement of the arbitration and the request for arbitration shall be deemed to be complete when all the requirements of sub-regulation (2) are fulfilled or when the Centre determines that there has been substantial compliance with such requirements and notifies the parties of the date of commencement of the arbitration.

5. Response to the request for arbitration.— (1) The respondent shall send to the claimant and to the Centre a response within fourteen days of the receipt of the request for arbitration, preferably by uploading it on the portal provided on the website of the Centre (www.indiaiac.org) or by way of an e-mail, or by filing the physical copy of the response to the request for arbitration with the Centre, which shall contain or be accompanied by,-

- (a) a confirmation or denial of all or part of the claims, or the claimant's invocation of the arbitration;
- (b) the full name and postal address along with telephone number, mobile number and e-mail ID of the respondent and its legal representative and successor in interest, if any;
- (c) a statement describing in brief the nature and circumstances of the dispute and the defence to the claim, and a brief statement describing the nature and circumstances of any counter-claims, specifying the relief claimed, including the amounts of any quantified counter-claims and, to the extent possible, an estimate of the monetary value of any other counter-claims;
- (d) any comment in response to any statement contained in the request for arbitration, or with respect to which the respondent desires to make a proposal, on matters relating to the conduct of the arbitration as regard to the number of arbitrators, governing law of the contract, governing law of the arbitration, the language of the arbitration and the place/seat of arbitration;
- (e) where the arbitration agreement provides for a sole arbitrator, concurrence with the claimant's proposal for a sole arbitrator or otherwise; or where the arbitration agreement provides for three arbitrators, the nomination of arbitrator as envisaged in such agreement, unless the parties have agreed otherwise including the power of nomination and appointment, as the case may be, being conferred with the Chairperson or the Centre in accordance with these regulations or except where one or more arbitrators have been named by a Court;
- (f) confirmation that copies of the response and the documents relied on have been or are being served simultaneously on the other parties, specifying the mode of service employed and the date of service, by documentary proof of actual delivery including the date of delivery;
- (g) confirmation that the requisite filing fee as specified in the Schedule has been paid for any counter-claim.

(2) The contents of the response shall not prevent the respondent from subsequently adding, supplementing or amending its pleadings.

6. Written communication and calculation of period.— (1) Any notice or communication or proposal shall be in writing, or by way of electronic communication, hereinafter referred to as the written communication and such written communication may be delivered personally or by registered post or by a courier service, or transmitted by any form of electronic means or delivered by any other means that provides a record of its transmission or in any other manner as may be directed by the Centre or the Arbitral Tribunal and such written communication shall be deemed to have been received if it is delivered,-

- (a) to the addressee personally; or
- (b) to his habitual residence, place of business or designated address; or
- (c) to any address agreed by the parties for service of communication; or
- (d) according to the practice of the parties in prior dealings; or
- (e) to his known e-mail address; or
- (f) if none of the aforesaid can be found after making reasonable inquiry, then at the addressee's last-known place of business or residence.

Explanation. — In this regulation, "electronic communication" includes electronic mail and any other type of communication which provides a record of transmission.

(2) Any written communication shall be deemed to have been received on the day when it is delivered or, in the case of electronic means, transmitted, and such time shall be determined with reference to the time zone of the place/seat of arbitration and in the event no place/seat of arbitration has been chosen by the parties or determined by the Arbitral Tribunal, the time of receipt shall be construed based on Indian Standard Time.

(3) Any period under these regulations shall be calculated from the day following the day when a written communication is deemed to have been received under sub-regulation (2).

Explanation- When the day next following such date is a non-businessday in the place of receipt of such written communication pursuant to sub-regulation (1), the period commences on the first following business day and if the last day of such period is a non-business day at the place of such receipt, the period is extended until the first business day which follows.

(4) Non-business days occurring during the running of the period are included in calculating the overall period.

(5) After the constitution of the Arbitral Tribunal, where any party delivers any written communication to the Arbitral Tribunal, it shall simultaneously deliver a copy to each arbitrator, all parties and the Registrar and it shall confirm in writing to the Arbitral Tribunal that it has done so or is doing so.

(6) The Registrar may, if the parties so request or the circumstances so warrant, amend the time limits prescribed in these regulations provided it does not contravene any provisions of the law applicable to the arbitration or any time limits as fixed by the Arbitral Tribunal.

7. Joinder of additional parties.- (1) After the constitution of the Arbitral Tribunal, a party to the arbitration may apply to the Arbitral Tribunal to join one or more additional parties in a arbitral proceeding pending before it.

(2) The arbitral tribunal may allow the application after satisfaction of the following conditions, namely:-

(a) the parties, including the additional party to be joined, have consented to the joinder of the additional party;
or

(b) the additional party to be joined is *prima facie* bound by the arbitration agreement;

(3) An application for joinder shall include,-

(a) a brief statement of the facts and reasons supporting the application.

(b) the details of the pending arbitration in which one or more additional parties are sought to be joined;

(c) the name and address along with telephone numbers and e-mail ID, of the additional party to be joined, and their representatives, if any;

(d) whether the additional party is to be joined as a claimant or a respondent;

(e) identification of the relevant arbitration agreement and a copy of such agreement;

(f) a reference to the contract or other instrument out of or in relation to which the dispute arises and, where possible, a copy of the contract or other instrument.

(4) The Arbitral Tribunal shall, after giving the parties, including the additional party to be joined, an opportunity to be heard, and having regard to the circumstances of the case, decide whether to allow, in whole or in part, any application for joinder under sub-regulation (1).

(5) The decision of the Arbitral Tribunal to allow the application for joinder under this regulation shall be without prejudice to its power to subsequently decide any question as to its jurisdiction for such decision.

(6) Where an application for joinder is allowed under sub-regulation (4), the filing fee under these regulations shall be payable for any additional claims or counter-claims.

8. Consolidation of arbitrations.- (1) Prior to the constitution of the arbitral tribunal in the arbitration sought to be consolidated, at the request of a party for consolidation, and after notice to the other parties and any Arbitral Tribunal, if constituted in the arbitration that commenced first, the Chairperson may allow to consolidate two or more arbitrations into a common arbitration where-

(a) the parties agree to the consolidation; or

(b) the claims in the arbitrations are made under the same arbitration agreement; or

(c) the disputes or differences therein are identical and between the same parties or between the parties having commonality of interests, or where such disputes arise out of separate contracts but relate to the same transaction.

(2) The party making the request for consolidation shall provide copies of such request to all other parties and to the Arbitral Tribunal, if any, in the arbitration that commenced first.

(3) In deciding whether to consolidate, the Chairperson shall take into account all the circumstances of the case and he shall endeavor to decide the application for consolidation within a period of fourteen days of the receipt of the request for consolidation.

(4) Where the Chairperson decides to consolidate two or more arbitrations under sub-regulation (1), the arbitrations shall be consolidated into the arbitration that commenced first, unless the Chairperson decides otherwise, taking into account the circumstances of the case.

(5) The Registrar shall provide copies of the decision of the Chairperson to all parties and to the Arbitral Tribunal constituted, if any, in the arbitration that commenced first.

(6) The Centre may suitably adjust its administration fee and the Arbitral Tribunal's fee (where appropriate) after a decision to consolidate the arbitrations has been made.

9. Composition and functions of the advisory panel.— (1) The advisory panel constituted by the Centre shall consist of the Members of the Centre, other than Members *ex officio*, and other eminent individuals having wide experience in the area of alternative dispute resolution mechanisms including arbitration, at domestic or international level.

(2) The advisory panel may consist of such number of advisors as the Centre may decide from time to time, which shall not be less than three but not more than ten.

(3) Not less than two advisors of the advisory panel shall advise the Chairperson in respect of appointment of an arbitrator either from the panel of arbitrators maintained by the Centre, or any other arbitrator in exceptional circumstances.

10. Disclosure on independence and impartiality of the arbitrators.— (1) Where a person is to be appointed as an arbitrator, he shall disclose in writing—

(a) the existence, either direct or indirect, of any past or present, relationship with or interest in any of the parties or in relation to the subject-matter in dispute, whether financial, business, professional or of any other kind, which is likely to give rise to justifiable doubts as to his independence or impartiality; and

(b) which are likely to affect his ability to devote sufficient time to the arbitration and in particular his ability to complete the entire arbitration within the specified time.

(2) An arbitrator, from his appointment and throughout the arbitral proceedings, shall, without delay, disclose to the parties in writing any circumstances referred to in sub-regulation (1), unless they have already been informed of them by him.

11. Appointment and confirmation of arbitrators.— (1) Unless the parties have agreed otherwise, a sole arbitrator shall be appointed.

(2) Subject to the agreement between the parties, the parties may nominate an arbitrator from the panel of arbitrators maintained by the Centre or in exceptional circumstances, any other arbitrator.

(3) If the parties have agreed that any arbitrator is to be appointed by one or more of the parties, or by any third person or by the arbitrators already appointed, such agreement shall be treated as an agreement to nominate an arbitrator under these regulations and such nominations shall be subject to appointment by the Chairperson.

(4) The Chairperson shall appoint arbitrators including from the panel of arbitrators maintained by the Centre after considering the advice of the advisory panel.

(5) In appointing an arbitrator under these regulations, due consideration shall be given to the qualifications required for the arbitrator as per the agreement of the parties, and to such considerations as are likely to secure the appointment of an appropriate arbitrator, who is independent and impartial, has sufficient time, availability and ability to conduct the case in a prompt and efficient manner.

(6) No claimant or respondent or any person shall make any *ex-parte* or private communication relating to the case with any arbitrator after he is appointed.

12. Arbitral tribunal comprising of Sole Arbitrator.— (1) If a sole arbitrator is to be appointed, either of the parties may propose to the other party the names of one or more persons to be appointed as the sole arbitrator and after reaching consensus on the nomination of a sole arbitrator, the Chairperson may appoint such nominated person as sole arbitrator.

(2) If the parties have not reached consensus for the nomination of a sole arbitrator within twenty-eight days from the date of commencement of the arbitration, the Chairperson, on the request of either party, shall appoint the sole arbitrator after considering the advice of the advisory panel.

13. Arbitral tribunal comprising of Three arbitrators.— (1) If three arbitrators are to be appointed, each party shall nominate one arbitrator.

(2) If a party fails to nominate an arbitrator within fourteen days after receipt of a party's nomination of an arbitrator, the Chairperson shall proceed to appoint an arbitrator on its behalf after considering the advice of the advisory panel.

(3) Unless the parties have agreed upon another procedure for appointing the third arbitrator, or if such agreed procedure does not result in a nomination within the period agreed by the parties or set by the Chairperson, the Chairperson shall appoint the third arbitrator after considering the advice of the advisory panel, who shall be the presiding arbitrator.

14. Multi-party appointment of arbitrator.— (1) Where there are more than two parties to the arbitration, and a sole arbitrator is to be appointed, the parties may jointly nominate the sole arbitrator and in the absence of such joint nomination having been made within twenty-eight days of the date of commencement of the arbitration, the Chairperson shall appoint the sole arbitrator after considering the advice of the advisory panel.

(2) Where there are more than two parties to the arbitration, and three arbitrators are to be appointed, the claimants shall jointly nominate one arbitrator and the respondents shall jointly nominate one arbitrator and unless the parties have agreed upon another procedure for appointing the third arbitrator, or if such agreed procedure does not result in a nomination within the period agreed by the parties or set by the Chairperson, the Chairperson shall appoint the third arbitrator on the advice of the advisory panel, who shall be the presiding arbitrator.

(3) In the absence of both such joint nominations having been made within twenty-eight days from the date of commencement of the arbitration, the Chairperson shall appoint all three arbitrators on the advice of the advisory panel and shall designate one of them to be the presiding arbitrator.

15. Challenge of arbitrators.— (1) The appointment or continuation of a person as an arbitrator may be challenged by any party if circumstances exist that give rise to justifiable doubts as to the arbitrator's impartiality or independence, or if the arbitrator does not possess any requisite qualification which the parties have previously agreed, or if the arbitrator becomes unable to discharge his functions or is not discharging those functions in accordance with these regulations or within the specified period.

(2) A party may challenge the arbitrator nominated by him only for reasons of which he becomes aware after such nomination has been made.

(3) A party who intends to challenge the appointment of an arbitrator shall send a notice to the Registrar within fourteen days after the receipt of the notice of appointment of such arbitrator, or within fourteen days after the circumstances mentioned in sub-regulation (1) become known to that party.

(4) The notice of challenge shall be sent simultaneously to the other party, the arbitrator who is being challenged and the other members of the Arbitral Tribunal.

(5) The notice of challenge shall be in writing and shall state the grounds for the challenge specified in sub-regulation (1).

(6) The Registrar may, by order suspend the arbitration proceedings until the challenge is resolved.

(7) When an arbitrator is challenged by one party, and the other party does not dispute the challenge made by the first party within seven days of the date of receipt of the notice of challenge, the Chairperson may replace such arbitrator and the arbitrator so challenged may also withdraw voluntarily from his office.

(8) In neither case referred to in sub regulation (7), does this imply acceptance of the validity of any of the grounds for the challenge.

(9) In instances referred to in sub-regulation (7), a substitute arbitrator shall be appointed in accordance with the procedure referred to in regulation 16.

(10) If the other party does not agree to the challenge and the arbitrator, who is being challenged does not withdraw himself voluntarily, the Chairperson shall send a copy of the notice to the parties and to the arbitrator to make submissions, or as the case may be, comments on the challenge within such period as may be provided by the Chairperson.

(11) The Chairperson shall endeavour to decide on the challenge within fifteen days from the date of submissions of the parties or the comments of the arbitrator, whichever is later.

(12) If the Chairperson accepts the notice of challenge, a substitute arbitrator shall be appointed in accordance with these regulations.

(13) If the Chairperson rejects notice of the challenge, the arbitrator shall continue with the arbitration.

16. Substitution of arbitrator.— (1) An arbitrator shall be substituted upon the following conditions:

- (a) refusal or failure to act in accordance with these regulations or within specified period; or
- (b) unable to perform the functions in accordance with these regulations; or
- (c) in case of his death, resignation, or withdrawal from the arbitration; or
- (d) acceptance of a challenge of arbitrator under regulation 15 by the Chairperson; or
- (e) in case of written request made by all the parties for the removal of the arbitrator to the Chairperson and where such request has been accepted by him.

(2) When an arbitrator is to be substituted for any reason, a substitute arbitrator shall be appointed by the Chairperson as per the procedure specified for the appointment of the arbitrator under these regulations.

(3) On substitution of an arbitrator, the reconstituted Arbitral Tribunal may invite and hear the parties to determine as to whether and to what extent the proceedings that have already taken place, shall be repeated or otherwise before the reconstituted Arbitral Tribunal:

Provided that if the previous Arbitral Tribunal has made an interim or partial award, any hearings related to such award, shall not be held again by the reconstituted Arbitral Tribunal and such interim or partial award shall remain effective.

17. Fast track procedure. - (1) The parties to an arbitration agreement may mutually agree in writing to have their dispute resolved through a fast track procedure at any stage, either before or at the time of appointment of the Arbitral Tribunal.

(2) Pursuant to such agreement, the parties may apply to the Registrar in writing for the arbitral proceedings to be conducted in accordance with the Fast Track Procedure.

(3) The parties making an application under sub-regulation (2) shall send a copy of the application to the other parties and to the Registrar.

(4) Where a party has made an application under sub-regulation (2), and where the Chairperson decides, after considering the views of the parties and having regard to the circumstances of the case, that the arbitral proceedings shall be conducted in accordance with the fast track procedure, the following procedure shall apply, notwithstanding anything contrary to the arbitration agreement between the parties, namely:-

- (a) the case shall be referred to a sole arbitrator, unless the Chairperson decides otherwise;
- (b) the Registrar may reduce any time period under these regulations;
- (c) the Arbitral Tribunal shall decide the dispute on the basis of written pleadings, documents and submissions filed, unless agreed otherwise by the parties;
- (d) the Arbitral Tribunal shall have the power to call for any further information or clarification from the parties in addition to the pleadings and documents filed by them;
- (e) an oral hearing may be held only if all the parties make a request or if the Arbitral Tribunal considers it necessary to have an oral hearing for clarifying certain issues;
- (f) the Arbitral Tribunal may dispense with any technical formalities, if an oral hearing is held, and adopt such procedure, as deemed appropriate for expeditious disposal of the case;
- (g) the award under this regulation shall be made within a period of six months from the date of intimation by the Registrar to the parties, of the constitution of the Arbitral Tribunal.
- (h) if the award is not made within the said period of six months, the mandate of the Arbitral Tribunal shall terminate unless the period to make the award has been extended by the Registrar for reasons to be recorded in writing.

(5) Upon application by a party, the Arbitral Tribunal may, after giving the parties the opportunity to be heard and in consultation with the Registrar, order that the arbitral proceedings shall not be conducted in accordance with the fast track procedure under this regulation, and where the Arbitral Tribunal allows such application, the arbitration shall continue to be conducted by the same Arbitral Tribunal that was constituted to conduct the arbitration in accordance with the fast track procedure.

18. Emergency arbitrator.— (1) Where an application for emergency interim relief cannot wait till the Arbitral Tribunal is constituted, a party may apply to the Registrar in writing for such emergency interim relief.

(2) The application under sub-regulation (1) may be made at the time of filing or subsequent to the filing of the request for arbitration but prior to the constitution of the Arbitral Tribunal.

- (3) The party making an application under sub-regulation (1) shall simultaneously send a copy thereof to the other parties to the arbitration.
- (4) The party making such an application shall -
- include a statement briefly describing the nature and circumstances of the relief sought and specific reasons why such relief is required on an emergency basis and the reasons why the party is entitled to such relief;
 - pay the applicable fee as specified in the Schedule for the appointment of the emergency arbitrator; and
 - file proof of service of such application upon the other parties to the arbitration.
- (5) The Chairperson shall endeavor to appoint the emergency arbitrator within three days (including non-business days) of receipt of the application by the Registrar.
- (6) The emergency arbitrator to be appointed under sub-regulation (5) must disclose to the Registrar any facts or circumstances which may give rise to justifiable doubts as to his impartiality or independence, before accepting the appointment.
- (7) Any challenge to the appointment of the emergency arbitrator may be made by either of the parties within one business day of the communication by the Registrar of the said appointment and the application must state the circumstances which form the basis for the challenge.
- (8) An emergency arbitrator may not act as an arbitrator in any future arbitration relating to the said dispute unless agreed by all the parties.
- (9) The emergency arbitrator so appointed shall schedule a hearing including the filing of submissions and documents by the parties within two business days of his appointment and shall provide a reasonable opportunity of being heard to all the parties to the dispute before granting any urgent interim measures of protection and shall record reasons in the order.
- (10) The parties shall comply with any order made by the emergency arbitrator.
- (11) The emergency arbitrator shall have the power to order any interim relief that he deems necessary.
- (12) An order of the emergency arbitrator shall be made in writing, with a brief statement of reasons and shall be signed.
- (13) The emergency arbitrator shall ensure that the entire process of arbitration from date of his appointment to making of the order shall be completed within fifteen days, which may only be extended by the Registrar in exceptional circumstances or by written agreement of all the parties to the said proceedings.
- (14) The emergency arbitrator shall become *functus officio* after the order is made and shall not be a part of the Arbitral Tribunal, which may be formed subsequently, in accordance with these regulations unless otherwise agreed to by all the parties.
- (15) The order for urgent interim measures made by the emergency arbitrator shall not bind the Arbitral Tribunal on the merits of any issue or dispute that the Arbitral Tribunal may be required to determine.
- (16) The order made by the emergency arbitrator shall remain operative for a period of two months from the date of the order unless modified, substituted or vacated by the Arbitral Tribunal:
- Provided that the Arbitral Tribunal shall have the power to extend the said order beyond the period of two months if it deems it necessary for reasons to be recorded in writing.
- (17) Any order of the emergency arbitrator may be confirmed, varied, discharged or revoked, in whole or in part, by order or award made by the Arbitral Tribunal upon application by any party or upon its own initiative.
- 19. Interim measures by Arbitral Tribunal.**— (1) A party may, during the arbitral proceedings apply to the Arbitral Tribunal for an interim measure of protection in respect of the subject-matter of the dispute as it may consider necessary, including-
- the appointment of a guardian for a minor or person of unsound mind for the purposes of arbitral proceedings; or
 - an interim measure of protection in respect of any of the following matters, namely: -
 - the preservation, interim custody or sale of any goods which are the subject matter of the arbitration;
 - securing the amount in dispute in the arbitration;
 - the detention, preservation or inspection of any property or thing which is the subject-matter of the dispute in arbitration, or as to which any question may arise therein and authorizing for any of the

aforsaid purposes any person to enter upon any land or building in the possession of any party or authorizing any samples to be taken, or any observation to be made, or experiment to be tried, which may be necessary or expedient for the purpose of obtaining full information or evidence;

- (iv) interim injunction or the appointment of a receiver;
- (v) such other interim measures of protection as may appear to the Arbitral Tribunal to be just and convenient.

(2) The Arbitral Tribunal may modify, suspend or terminate an interim measure granted by it, upon an application by a party, if the circumstances so warrant.

20. Statement of claim.- (1) The claimant shall, within such period as may be determined by the Arbitral Tribunal, submit the statement of claim, preferably by uploading it on the portal provided on the website of the Centre (www.indiaiac.org) or by way of an e-mail, or by filing a physical copy of the statement of claim with the Arbitral Tribunal with a copy to the respondent and to the Centre, setting out in full detail subject to any specific directions of the Arbitral Tribunal in this regard-

- (a) statement of facts supporting the claim;
- (b) copies of supporting documents; and
- (c) the relief claimed, together with the amount of all quantifiable claims.

(2) If the claimant fails to submit its statement of claim with the specified period, the Arbitral Tribunal may issue an order for the termination of the arbitral proceedings or give such other directions as may be appropriate, unless a respondent has brought a counter claim and requests the arbitration to continue.

21. Statements of defence and counter claim.- (1) The respondent shall submit its statement of defence before the Arbitral Tribunal within the period specified by the Arbitral Tribunal, preferably by uploading it on the portal provided on the website of the Centre (www.indiaiac.org) or by way of an e-mail, or by filing a physical copy of the statement of defence and furnish a copy to the claimant and to the Centre, setting out its full defence to the statement of claim, subject to any specific directions of the Arbitral Tribunal in this regard.

(2) The statement of defence may also include a counter claim (if any), which shall comply with the requirements of regulation 20.

(3) If a counter claim is made, the claimant shall within a specified period decided by the Arbitral Tribunal, send to the respondent a statement of defence to the counter claim (with a copy to the Arbitral Tribunal and the Centre), setting out its full defence to the counter claim.

(4) If the respondent fails to submit a statement of defence, or, if at any stage any party fails to avail itself of the opportunity to present its case in the manner directed by the Arbitral Tribunal, the Arbitral Tribunal may proceed with the arbitration.

22. Amendments to the statements of claim or defence.- (1) A party may, with the leave of the Arbitral Tribunal, amend, supplement or modify its claim, counter-claim or other pleadings, unless the Arbitral Tribunal considers it inappropriate to allow such amendment, having regard to the delay in making the request or the prejudice it might cause to the other party or any other circumstance.

(2) If a party is permitted to amend its claim or counter-claim, the Registrar may require such party to pay such additional Arbitral Tribunal's fees and the administration fee specified in the Schedule, as it considers appropriate.

23. Further pleadings.- The Arbitral Tribunal shall decide whether further pleadings shall be required from the parties or may be presented by them and it shall fix the periods of time for filing such pleadings, if any.

24. Jurisdiction.- (1) If a party objects to the existence or validity of the arbitration agreement, or to the competence of the Centre to administer an arbitration, the same shall be decided by the Arbitral Tribunal after it is constituted.

(2) The Arbitral Tribunal shall have the power to decide on its own jurisdiction, including any objections with respect to the existence, termination or validity of the arbitration agreement.

(3) A plea that the Arbitral Tribunal does not have jurisdiction shall be raised not later than in a statement of defence or in a statement of defence to the counter-claim and a failure by a party to raise an objection on jurisdiction by then, shall be treated as an express waiver of that objection.

25. Conduct of proceedings.- (1) The Arbitral Tribunal may conduct the arbitration in such manner as provided in the law governing the arbitration and as it considers appropriate to ensure the cost effective, fair and timely resolution of the dispute.

(2) As soon as practicable after the appointment of all arbitrators, the Arbitral Tribunal shall conduct a preliminary

meeting with the parties (in person, by audio/video conferencing or any other electronic mode), to discuss the procedures that will be most appropriate and efficient for the case.

(3) During or following the preliminary meeting, the Arbitral Tribunal shall establish the procedural time table that it intends to follow for the conduct of the arbitration (including the period within which parties shall lead evidence and make oral submissions on a day-to-day basis) and shall communicate the procedural time table to the Centre and the parties.

(4) The Arbitral Tribunal after consulting the parties, may adopt further procedural measures or modify the procedural timetable from time to time and all such modified procedural timetables and orders shall be communicated to the parties and the Centre, to ensure continued effective case management.

(5) The filing of the statement of claim and statement of defence shall be completed within a maximum period of six months from the date the arbitrator or all the arbitrators, as the case may be, received notice in writing of their appointment.

(6) The Arbitral Tribunal may frame a list of issues after the pleadings are completed, if it deems it appropriate to do so.

(7) The Arbitral Tribunal may proceed with the arbitration notwithstanding the failure or refusal of any party to comply with these regulations or orders or directions of the Arbitral Tribunal or any partial or interim award or to attend any meetings or hearings, and may impose such costs as the Arbitral Tribunal deems appropriate in such circumstances.

26. Language of the arbitration proceedings.- (1) Unless the parties have agreed otherwise, the language of the arbitrations shall be English.

(2) If a document is in a language other than the language of the arbitration, the Arbitral Tribunal, or if the Arbitral Tribunal has not been established, the Registrar, may order a party to submit translation of the document, in the language of the arbitration.

27. Party representatives.- (1) Any party may be represented by legal practitioners or any other authorised representatives, subject to submission of proof of authority of the party representatives.

(2) Any change or addition by a party to its representatives shall be promptly communicated in writing to the Registrar, the Arbitral Tribunal and the other parties.

28. Place/seat of arbitration.- (1) The parties may agree on the place/seat of arbitration, failing such an agreement, the place/ seat of arbitration shall be determined by the Arbitral Tribunal having regard to the circumstances of the case.

(2) The Arbitral Tribunal, in consultation with the parties may hold all proceedings including hearings either physically, virtually or in a hybrid manner and where the Arbitral Tribunal decides to hold the hearings (including for recording of evidence) physically, it may hold it at any location agreed to by the parties or where there is no such agreement hold it at a place which the Arbitral Tribunal considers convenient or appropriate, after consulting the parties.

Explanation: 'Place of Arbitration' shall mean 'Seat of Arbitration' and *vice versa*.

29. Applicable law.- (1) The Arbitral Tribunal shall, for deciding the merits of the dispute, apply the law or rules, as the case may be, agreed upon by the parties and in case of failure of such agreement between the parties, the Arbitral Tribunal shall decide the dispute on merits by applying the law or rules which it determines to be appropriate in the facts and circumstances of the case.

(2) In an arbitration other than international commercial arbitration, the Arbitral Tribunal shall decide the dispute submitted to arbitration in accordance with the law for the time being in force in India.

(3) The Arbitral Tribunal shall decide as *amiable compositeur* or *ex aequo et bono* only if the parties have expressly authorised the Arbitral Tribunal to do so.

(4) In all cases, the Arbitral Tribunal shall take into account the terms of the contract, any trade usages applicable to the transaction to the extent that the Arbitral Tribunal considers it relevant to the arbitration.

30. Hearings.— (1) Unless the parties have agreed otherwise or where the parties have opted for fast track procedure, the Arbitral Tribunal shall if either party so requests or the Arbitral Tribunal so decides, hold a hearing in a manner as agreed for the presentation of evidence and for oral arguments on interim applications, if any and on the merits of the dispute.

(2) The Arbitral Tribunal shall fix the date, time and place of any meeting or hearing and shall give the parties reasonable notice in advance.

- (3) If any party to the proceedings, without sufficient cause, fails to appear at a hearing, the Arbitral Tribunal may proceed with the arbitration and may make the award based on the evidence and submissions before it.
- (4) Unless the parties agree otherwise, all meetings and hearings shall be held privately, and any recordings, transcripts, documents or other materials used in the proceedings shall remain confidential.
- 31. Witnesses-** (1) Prior to hearing, the Arbitral Tribunal may require any party to give a list of witnesses, including expert witnesses, whom it intends to produce, the subject of their testimony and its relevance to the issues.
- (2) The Arbitral Tribunal shall have the discretion to allow, refuse or limit the number of witnesses intended to be produced by a party and to determine the time to be allocated for the oral testimony of a witness.
- (3) The Arbitral Tribunal shall determine the manner in which witnesses are to be examined, and may direct that the testimony of any witness be presented in written form.
- 32. Appointment of experts by the Arbitral Tribunal.-** (1) Unless the parties have agreed otherwise, the Arbitral Tribunal may—
- (a) in consultation with the parties, appoint one or more experts to report on specific issues which shall be set out by the Arbitral Tribunal in writing; and
- (b) require a party to give such expert any relevant information, or produce, or provide access to any relevant documents, goods or property for inspection.
- (2) Any expert so appointed shall submit a report in writing to the Arbitral Tribunal and upon receipt of the said written report, the Arbitral Tribunal shall supply a copy of the report to the parties.
- (3) Unless the parties have agreed otherwise, if a party so requests or if the Arbitral Tribunal considers it necessary, any such expert shall after delivery of his written report, participate in an oral hearing where the parties may cross-examine him.
- (4) Any expert so appointed shall furnish a declaration that he is and shall continue to be impartial and independent.
- (5) The charges and costs relating to the expert shall be borne by the parties, as determined by the Arbitral Tribunal.
- 33. Making of award.-** (1) The Arbitral Tribunal, upon being satisfied that the parties have no further relevant and material evidence to produce or submissions to make, shall declare that the proceedings are closed and the Arbitral Tribunal may, on its own motion or upon application of a party before any award is made, reopen the proceedings.
- (2) The Arbitral Tribunal shall submit all draft awards to the Registrar within sixty days from the date on which it declares the proceedings closed unless, in exceptional circumstances and further to an application by the Arbitral Tribunal or on the own motion of the Registrar, the Registrar extends the period for submission of the draft award.
- (3) The Registrar may suggest changes, within twenty-one days as to the form of the draft award and point out any typographical or clerical errors in the draft award without affecting the decision of the Arbitral Tribunal.
- (4) The Arbitral Tribunal may make such changes, if any, as it deems fit to the award.
- (5) The Arbitral Tribunal may make partial awards on different issues at different times.
- (6) Where the Arbitral Tribunal consists of more than one arbitrator, the Arbitral Tribunal shall decide by a majority.
- (7) The award shall be made in writing and signed by the Arbitral Tribunal and unless agreed otherwise by the parties in writing, the award shall state the reasons upon which it is based.
- (8) The award may be executed in any number of counterparts, each of which is an original and all of which together evidence the same award.
- (9) Where there are three arbitrators and any of them fails to sign the award, the award shall state the reason for the absence of the signature of such arbitrator.
- (10) If the majority arbitrators of the Arbitral Tribunal sign the award, it shall be final and binding for the purposes of these regulations, provided that all arbitrators were provided with a reasonable opportunity to sign the award.
- (11) The award shall be delivered by the Arbitral Tribunal to the Registrar, who shall transmit certified copies to the parties upon the full settlement of the costs of arbitration.
- (12) The Arbitral Tribunal may award interest on any principal sum which is the subject of the arbitration at such rates as the parties may have agreed or, in the absence of such agreement, as the Arbitral Tribunal determines and in respect of any period, as it determines appropriate.

(13) In the event of a settlement, if the parties so request, the Arbitral Tribunal may render a consent award recording the settlement, provided always that such award contains an express statement that it is an award made with the consent of the parties, which need not contain reasons.

(14) If the parties do not require a consent Award, the parties shall confirm to the Arbitral Tribunal and the Registrar that a settlement has been reached.

(15) The Arbitral Tribunal shall be discharged and the arbitration concluded upon payment of any outstanding costs of the arbitration.

(16) By agreeing to arbitration under these regulations, the parties agree that an award shall be final and binding on the parties from the date it is made.

34. Correction and interpretation of award, additional award.- (1) Within thirty days from the receipt of the arbitral award—

- (a) a party, with notice to the other party, may request the Arbitral Tribunal to correct any computation errors, any clerical or typographical errors or any other errors of a similar nature occurring in the award;
- (b) if so agreed by the parties, a party, with notice to the other party, may request the Arbitral Tribunal to give an interpretation of a specific point or part of the award.

(2) If the Arbitral Tribunal is satisfied with the request made under sub-regulation (1), it shall make the correction or give the interpretation within thirty days from the receipt of the request and the interpretation shall form part of the arbitral award.

(3) The Arbitral Tribunal may correct any error of the type referred to in clause (a) of sub-regulation (1), on its own initiative, within thirty days from the date of the award.

(4) A party with notice to the other party, may request, within thirty days from the receipt of the award, the Arbitral Tribunal to make an additional award as to claims presented in the arbitral proceedings but omitted from the award.

(5) If the Arbitral Tribunal is satisfied with the request made under sub-regulation (4), it shall make the additional award within sixty days from the receipt of such request.

(6) The Arbitral Tribunal may extend, if necessary, the period within which it shall make a correction, give an interpretation or make an additional award under sub-regulation (2) or sub-regulation (5).

(7) The regulation 33 shall apply to a correction or interpretation of the award or to an additional award.

35. Fees and expenses of arbitration.- (1) The fees of the arbitrator and the administration fee shall be fixed by the Registrar in accordance with the fee specified in the Schedule.

(2) The Arbitral Tribunal's reasonable out-of-pocket expenses necessarily incurred and other allowances shall be reimbursed in accordance with the applicable practice directions.

36. Deposits for costs of arbitration.- (1) The Registrar shall fix the amount of deposits towards the costs of arbitration.

(2) Unless the Registrar directs otherwise, fifty per cent. of such deposits shall be payable by the claimant and the remaining fifty per cent. of such deposits shall be payable by the respondent and the Registrar may fix separate advances on costs for claims and counter-claims, respectively.

(3) Where the amount of the claim or the counter-claim is not quantifiable at the time payment is due, a provisional estimate of the costs of the arbitration shall be made by the Registrar, based on the nature of the dispute, the contract amount and the circumstances of the case, which shall be adjusted subsequently.

(4) The Registrar may from time to time direct the parties to make further payments towards costs of the arbitration incurred or to be incurred on behalf of, or for the benefit of, the parties.

(5) If a party fails to make the deposits as directed, the Registrar may, after consulting the Arbitral Tribunal and after informing the parties, direct the Arbitral Tribunal to suspend the arbitration proceedings and set a period, not exceeding sixty days, on the expiry of which the relevant claims or counter-claims shall stand terminated without prejudice to the parties reintroducing the same claims or counter-claims in another proceeding *de novo*, in accordance with law.

(6) Parties are jointly and severally liable for the deposits for costs of the arbitration.

(7) Any party is free to pay the whole of the deposits towards costs of the arbitration in respect of the claim or the counter-claim, in case the other party fails to pay its share.

(8) If the arbitration is settled or disposed of without a hearing, the costs of arbitration shall be finally determined by the Registrar having regard to the circumstances of the case, including the stage of proceedings at which the arbitration is settled or disposed.

(9) In the event that the costs of arbitration determined are less than the deposits made, there shall be a refund made to the parties by the Centre in such proportions as the deposits were made unless otherwise agreed by the parties.

(10) All deposits shall be made to and held by the Centre and any interest which may accrue on such deposits shall be retained by it.

(11) The Centre shall have a lien on the arbitral award for any unpaid costs of the arbitration and the award shall not be notified to the parties unless all such costs have been fully paid to the Centre by the parties or by any one of them.

37. Costs of arbitration.— (1) The Arbitral Tribunal shall specify in the award, the total amount of the costs of the arbitration, and unless the parties have agreed otherwise, the Arbitral Tribunal shall determine in the award, the apportionment of the costs of the arbitration among the parties.

(2) The term “costs of the arbitration” includes -

(a) the fees and expenses of the Arbitral Tribunal;

(b) the administration fees of the Centre and its expenses; and

(c) the costs of expert advice and of other assistance reasonably required by the Arbitral Tribunal.

38. Legal and other costs.— (1) The Arbitral Tribunal shall have the authority to order in its award that all or a part of the legal or other costs of a party be paid by another party.

(2) The Arbitral Tribunal shall take into account in making its decision as to costs, circumstances it considers relevant, including the extent to which each party has conducted the arbitration in an expeditious manner.

39. Appointment fees.— (1) The appointment fees, as specified in the Schedule shall be payable when a request for appointment of arbitrator has been made to the Centre in an *ad hoc* arbitration and where parties have agreed for the Centre to make such appointment either before or after the dispute has arisen and such appointment fee shall be payable by the party making the request for appointment.

(2) Where a court refers a matter to the Centre for appointment of arbitrator on an application made by a party for such appointment, then the appointment fee shall be payable by the party who has made an application to the court for the appointment of arbitrator.

(3) Where a court on its own motion refers a matter to the Centre for appointment of arbitrator, the appointment fee shall be payable by both the parties in equal share or either party may pay the entire amount of appointment fee.

40. Exclusion of liability.— (1) The Centre, the Chairperson, Members, Chief Executive Officer, Registrar, Member of the advisory panel or Chamber of Arbitration of the Centre, other officers, employees, any arbitrator or emergency arbitrator, shall not be liable to any person for any negligence, act or omission in good faith, in connection with any arbitration conducted under these regulations.

(2) The Centre, the Chairperson, Members, Chief Executive Officer, Registrar, Member of the advisory panel or Chamber of Arbitration of the Centre, other officers, employees, any arbitrator or emergency arbitrator, shall not be under any obligation to make any statement in connection with any arbitration conducted under these regulations and no party shall seek to make the Chairperson, any Members, officers, employees, any arbitrator or emergency arbitrator act as a witness in any legal proceedings in connection with any arbitration conducted under these regulations.

41. Waiver of right to object.— A party who knows or ought to know of a failure to comply with any of the provisions, or requirement under these regulations, and which are applicable to the proceedings, any direction given by the Arbitral Tribunal, or any requirement under the arbitration agreement relating to the constitution of the Arbitral Tribunal or the conduct of the proceedings and yet proceeds with the arbitration without promptly stating its objection, or if a period is provided for stating that objection, within that period, shall be deemed to have waived its right to object.

42. Confidentiality.— (1) The parties, the Arbitral Tribunal, an emergency arbitrator, Members of the Centre and the Centre shall at all times treat all matters relating to the arbitration and the award including the proceedings as confidential.

(2) A party or any arbitrator shall not, without the prior written consent of all the parties, disclose to a third party any such matter, except—

(a) for the purpose of making an application to a court of competent jurisdiction, to enforce or challenge the award; or

(b) pursuant to the order made by a court of competent jurisdiction; or

- (c) for the purpose of pursuing or enforcing a legal right or claim; or
- (d) in compliance with the provisions of any laws which are binding on the party making the disclosure; or
- (e) in compliance with the request or requirement of any regulatory body or other authority under any law; or
- (f) pursuant to an order by the Arbitral Tribunal on application by a party with proper notice to the other parties.

(3) In this regulation, “*matters relating to the proceedings*” means the existence of the proceedings and the pleadings, evidence and other materials in the arbitration proceedings and all other documents produced by another party in the proceedings or the award arising from the proceedings, but excludes any matter that is otherwise in the public domain.

43. Decisions of Chairperson, Members, Chief Executive Officer and Registrar.-

(1) Subject to the provisions of these regulations, the decisions of the Chairperson, Members, Chief Executive Officer and Registrar with respect to all matters relating to an arbitration conducted under these regulations shall be conclusive and binding upon the parties and the Arbitral Tribunal.

(2) The Chairperson, Members, Chief Executive Officer and the Registrar shall not be required to provide reasons for such decisions, unless expressly provided for in these regulations.

44. Miscellaneous.- (1) In all matters not expressly provided for in these regulations, the Chairperson, Members, Chief Executive Officer, Registrar and the Arbitral Tribunal shall act in the spirit of these regulations and shall make every reasonable effort to ensure the fair, expeditious and economical conclusion of the arbitration.

(2) The Centre may from time to time issue practice directions for implementation of these regulations, for the purpose of facilitating the administration of arbitration.

SCHEDULE

FEE FOR ARBITRATION

PART I- DOMESTIC ARBITRATION

(A) **NON-REFUNDABLE FILING FEE** - Indian Rupees 5,000/- plus GST, as applicable

(B) **ADMINISTRATION FEE**

Sl. No.	Amount in Dispute ((Indian Rupees) [claim + counter-claim (if any)]	Administration Fee (Indian Rupees) (excluding GST)
(i)	Upto 25,00,000	15,000
(ii)	Above 25,00,000 and upto 1,00,00,000	25,000
(iii)	Above 1,00,00,000 and upto 5,00,00,000	50,000
(iv)	Above 5,00,00,000 and upto 7,00,00,000	75,000
(v)	Above 7,00,00,000 and upto 10,00,00,000	90,000
(vi)	Above 10,00,00,000 and upto 25,00,00,000	1,00,000
(vii)	Above 25,00,00,000	1,50,000

Note.-: The Administration fee of the Centre does not include the following, namely:-

- (a) The disbursements and incidental expenses incurred by the Centre in connection with the arbitration;
- (b) Cost for usage of facilities and support services (for example: Hearing Rooms, Hire of Equipment, Transcription Services and Interpretation Services), as may be applicable;
- (c) Good and Services Tax (GST) as may be applicable.

(C) ARBITRATOR'S FEE- FOR EACH ARBITRATOR

Sl. No.	Amount in Dispute (Indian Rupees) [Claim + Counterclaim (if any)]	Arbitrator's Fee (Indian Rupees) (excluding GST)
(i)	Upto 5,00,000	45,000
(ii)	Above 5,00,000 and upto 20,00,000	45,000 plus 3.5% of amount in excess of 5,00,000
(iii)	Above 20,00,000 and upto 1,00,00,000	97,500 plus 3% of amount in excess of 20,00,000
(iv)	Above 1,00,00,000 and upto 10,00,00,000	3,37,500 plus 1% of amount in excess of 1,00,00,000
(v)	Above 10,00,00,000 and upto 20,00,00,000	12,37,500 plus 0.75% of amount in excess of 10,00,00,000
(vi)	Above 20,00,00,000 and upto 50,00,00,000	48,62,500 plus 0.50% of amount in excess of 20,00,00,000
(vii)	Above 50,00,00,000 and upto 75,00,00,000	78,62,500 plus 0.25% of amount in excess of 50,00,00,000
(viii)	Above 75,00,00,000 and upto 100,00,00,000	84,87,500 plus 0.10% of amount in excess of 75,00,00,000
(ix)	Above 100,00,00,000 and upto 200,00,00,000	87,37,500 plus 0.03% of amount in excess of 100,00,00,000
(x)	Above 200,00,00,000	91,00,000

Note.- (1) In case the Arbitral Tribunal comprises of a sole arbitrator, he shall be entitled to an additional amount of 25% on the fee payable as per the table set out above.

(2) The arbitrator's fee does not include-

- (a) the expenses of the arbitrator;
- (b) Good and Services Tax (GST) as may be applicable.

(D) FEE FOR EMERGENCY ARBITRATOR PROCEEDINGS

Administration fee of the Centre	-	Indian Rupees 1,00,000/-
Emergency arbitrator's fee-		Indian Rupees 7,00,000/-

Note.- The fee for emergency arbitrator proceedings does not include the following, namely:-

- (a) the disbursements and incidental expenses incurred by the Centre in connection with the emergency arbitrator proceedings;
- (b) the expenses of the emergency arbitrator;
- (c) cost for usage of facilities and support services (for example: Hearing Rooms, Hire of Equipment, Transcription Services and Interpretation Services) as may be applicable;
- (d) Good and Services Tax (GST) as may be applicable.

PART II- INTERNATIONAL ARBITRATION

(A) **NON-REFUNDABLE FILING FEE-** United States Dollars 500/- (or equivalent in Indian Rupees) plus Good and Services Tax (GST), as applicable.

(B) **ADMINISTRATION FEE**

Sl. No.	Amount in Dispute (United States Dollars or equivalent in Indian Rupees) [Claim + Counterclaim (if any)]	Administration Fee (United States Dollars or equivalent in Indian Rupees) (excluding GST)
(i)	Up to 50,000	1,000
(ii)	Above 50,000 and upto 100,000	1,000 plus 2% of amount in excess of 50,000
(iii)	Above 100,000 and upto 500,000	2,000 plus 1% of amount in excess of 100,000
(iv)	Above 500,000 and upto 1,000,000	6,000 plus 0.60% of amount in excess of 500,000
(v)	Above 1,000,000 and upto 2,000,000	9,000 plus 0.30% of amount in excess of 1,000,000
(vi)	Above 2,000,000 and upto 5,000,000	12,000 plus 0.10% of amount in excess of 2,000,000
(vii)	Above 5,000,000	15,000

Note.- The administration fee of the Centre does not include the following, namely:-

- the disbursements and incidental expenses incurred by the Centre in connection with the arbitration;
- cost for usage of facilities and support services (for example: Hearing Rooms, Hire of Equipment, Transcription Services and Interpretation Services), as may be applicable;
- Good and Services Tax (GST) as may be applicable.

(C) ARBITRATOR'S FEE – FOR EACH ARBITRATOR

S. No.	Amount in Dispute (United States Dollars or equivalent in Indian Rupees) [Claim + Counterclaim (if any)]	Arbitrator's Fee (United States Dollars or equivalent in Indian Rupees) (excluding GST)
(i)	Up to 50,000	5,000
(ii)	Above 50,000 and upto 100,000	5,000 plus 10% of amount in excess of 50,000
(iii)	Above 100,000 and upto 500,000	10,000 plus 6% of amount in excess of 100,000
(iv)	Above 500,000 and upto 1,000,000	34,000 plus 4% of amount in excess of 500,000
(v)	Above 1,000,000 and upto 2,000,000	54,000 plus 2.5% of amount in excess of 1,000,000
(vi)	Above 2,000,000 and upto 5,000,000	79,000 plus 1.25% of amount in excess of 2,000,000
(vii)	Above 5,000,000 and upto 10,000,000	116,500 plus 0.60% of amount in excess of 5,000,000
(viii)	Above 10,000,000 and upto 50,000,000	146,500 plus 0.10% of amount in excess of 10,000,000
(ix)	Above 50,000,000 and upto 100,000,000	186,500 plus 0.025% of amount in excess of 50,000,000
(x)	Above 100,000,000	200,000

Note.- The fee of the arbitrator does not include.-

- the expenses of the arbitrator,

(b) Good and Services Tax (GST) as may be applicable.

(D) FEE FOR EMERGENCY ARBITRATOR PROCEEDINGS

Administration fee of the Centre - United States Dollars 2,000/-
(or equivalent in Indian Rupees)

Emergency arbitrator's fee- United States Dollars 15,000/-
(or equivalent in Indian Rupees)

Note.- The fee for emergency arbitrator proceedings does not include the following, namely:-

- (a) the disbursements and incidental expenses incurred by the Centre in connection with the Emergency Arbitrator proceedings;
- (b) the expenses of the emergency arbitrator;
- (c) cost for usage of facilities and support services (for example: Hearing Rooms, Hire of Equipment, Transcription Services and Interpretation Services)
- (d) Good and Services Tax (GST) as may be applicable.

PART III- APPOINTMENT FEE IN AD-HOC ARBITRATION MATTERS

Domestic Arbitration

- (a) 1 Arbitrator – Indian Rupees 5,000/-;
- (b) 2 Arbitrators – Indian Rupees 10,000/-;
- (c) 3 Arbitrators – Indian Rupees 15,000/- ;

International Arbitration

- (a) 1 Arbitrator – United States Dollars 500/- (or equivalent in Indian Rupees)
- (b) 2 Arbitrators – United States Dollars 1,000/- (or equivalent in Indian Rupees)
- (c) 3 Arbitrators – United States Dollars 1,500/- (or equivalent in Indian Rupees)

HEMANT GUPTA, Chairperson
[ADVT.-III/4/Exty./406/2023-24]